ख़ुतबात–4

ज़कात की हक़ीक़त

सय्यद अबुल आला मौदूदी

ज़कात की हक़ीक़त

(ख़ुतबात-4)

मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी (रह०)

अनुवादक

डॉ० कौसर यज़दानी नदवी

मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स

नई दिल्ली - 110025

Khutbat -IV (Hindi)
इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन न० -53

किताब का नाम : ख़ुतबात-४ (उर्दू)

लेखक : मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी

प्रकाशकः मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स
D-307, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025
दूरभाष : 26971652, 26954341
फैक्स : 26947858
E-mail: mmipub@nda. vsnl.net.in
Website: www.mmipublishers.net

पृष्ठ : 56
संस्करण : अप्रैल 2007 ई०
संख्या : 1100
मूल्य : **16.00**

मुद्रक : एच०एस० आफसेट प्रिंटर्स, नई दिल्ली-2

विषय-सूची

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

'अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील, अत्यन्त दयावान है ।'

भूमिका

इस किताब में इस्लामी जगत् के एक बड़े आलिम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी (रह०) के उन ख़ुतबों (भाषणों) को जमा करके प्रकाशित किया गया है, जो उन्होंने सन् 1938 ई० में दारुल इस्लाम पठानकोट (पंजाब) की जामा मस्जिद में कम पढ़े-लिखे आम मुसलमानों के सामने दिए थे । इन ख़ुतबों में इतने सादा और प्रभावकारी अन्दाज़ में इस्लाम की शिक्षाओं को उनकी रूह के साथ पेश किया गया है कि इन्हें सुनकर या पढ़कर बेशुमार लोगों की ज़िन्दगियाँ सुधर गईं और वे बुराइयों को छोड़ने और भलाइयों को अपनाने पर मजबूर हो गए । इन लोगों में मुसलमान भी हैं और ग़ैर मुसलिम भी ।

इन ख़ुतबों की इन्हीं ख़ूबियों की वजह से दुनिया की अनेक भाषाओं में इनके तर्जुमे बड़ी तादाद में प्रकाशित किए गए और वे सभी लोकप्रिय हुए ।

मौलाना मौदूदी की एक अन्य लोकप्रिय किताब दीनियात (इस्लाम धर्म) में इस्लामी अक़ीदों की तफ़सील बयान की गई है और इस्लाम के शरई निज़ाम (व्यावहारिक व्यवस्था) के बारे में भी कुछ जानकारी उपलब्ध कराई गई है और अब इस किताब में दीन की रूह (स्प्रिट) और इबादतें तफ़सील से बयान कर दी गई हैं । उक्त दोनों किताबों को मिलाकर पढ़ने के बाद दीन को समझना और दीन पर चलना भी आसान होगा और फिर दीन पर अमल करने के नतीजे में इंसान और इंसानी समाज में एक ख़ुशगवार तब्दीली देखने में आएगी और लोग दीन के फ़ायदों और बरकतों को अपनी आँखों से ख़ुद देख सकेंगे ।

जो लोग इन ख़ुतबों को जुमा में सुनाना चाहें वे पहले हर ख़ुतबे के शुरू में मसनून ख़ुतबा पढ़ें । दूसरा ख़ुतबा लाज़िमी तौर पर अरबी में दिया जाना चाहिए ।

यह बात भी बता देना ज़रूरी मालूम होता है कि ये ख़ुतबे जिन हालात में दिए गए थे वे अब बहुत कुछ बदल चुके हैं, इसलिए पढ़ते वक़्त उन हालात को नज़र में रखना चाहिए ।

इस्लामी साहित्य ट्रस्ट (रजि०) हिन्दी ज़ुबान में इस्लामी शिक्षाओं पर आधारित किताबें तैयार करने की सेवा में लगा हुआ है । इस किताब को आपकी सेवा में पेश करने का सौभाग्य हमें मिला इसपर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ।

अल्लाह से दुआ है कि वह इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा मुफ़ीद बनाए ।

नसीम ग़ाज़ी फ़लाही
अध्यक्ष
इस्लामी साहित्य ट्रस्ट

ज़कात

ज़कात की अहमियत

मुसलमान भाइयो! नमाज़ के बाद इस्लाम का सबसे बड़ा रुक्न ज़कात है। आम तौर पर चूँकि इबादतों के सिलसिले में नमाज़ के बाद रोज़े का नाम लिया जाता है, इसलिए लोग यह समझने लगे हैं कि नमाज़ के बाद रोज़े का नम्बर है। मगर क़ुरआन मजीद से हमको मालूम होता है कि इस्लाम में नमाज़ के बाद सबसे बढ़कर ज़कात की अहमियत है। ये दो बड़े सुतून हैं जिनपर इस्लाम की इमारत खड़ी होती है। इनके हटने के बाद इस्लाम क़ायम नहीं रह सकता।

ज़कात का मतलब

ज़कात का मतलब है – पाकी और सफ़ाई। अपने माल में से एक हिस्सा ज़रुरतमन्दों और ग़रीबों के लिए निकालने को ज़कात इसलिए कहा गया है कि इस तरह आदमी का माल और उस माल के साथ ख़ुद आदमी का नफ़्स और मन भी पाक हो जाता है। जो शख़्स ख़ुदा की दी हुई दौलत में से ख़ुदा के बन्दों का हक़ नहीं निकालता, उसका माल नापाक है और माल के साथ उसका नफ़्स भी नापाक है, क्योंकि उसके नफ़्स में एहसान-फ़रामोशी भरी हुई है। उसका दिल इतना तंग है, इतना ख़ुदग़रज़ है, इतना ज़रपरस्त (माल का पुजारी) है कि जिस ख़ुदा ने उसको उसकी असली ज़रूरतों से ज़्यादा दौलत देकर उसपर एहसान किया, उसके एहसान का हक़ अदा करते हुए भी उसका दिल दुखता है। ऐसे शख़्स से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वह दुनिया में कोई नेकी भी ख़ुदा के वास्ते कर सकेगा, कोई क़ुरबानी भी सिर्फ़ अपने दीन व ईमान के लिए बरदाश्त कर सकेगा? इसलिए ऐसे आदमी का दिल भी नापाक और उसका वह माल भी नापाक, जिसे वह इस तरह जमा करे।

ज़कात, एक इमतिहान

अल्लाह तआला ने ज़कात का फ़र्ज़ आएद करके हर शख़्स को इमतिहान में डाला है। जो शख़्स ख़ुशी से अपनी ज़रूरत से ज़्यादा माल में से ख़ुदा का हक़ निकालता है और उसके बन्दों की मदद करता है, वही अल्लाह के काम का आदमी है और वही इस लायक़ है कि ईमानदारों की जमाअत में उसका शुमार किया जाए। और जिसका दिल इतना तंग है कि वह इतनी ज़रा-सी क़ुरबानी भी ख़ुदा के लिए सहन नहीं कर सकता, वह अल्लाह के किसी काम का नहीं। वह हरगिज़ इस लायक़ नहीं कि ईमानवालों की जमाअत में दाख़िल किया जाए। वह तो सड़ा हुआ हिस्सा है, जिसे जिस्म से अलग कर देना ही बेहतर है, वरना सारे जिस्म को सड़ा देगा। यही वजह है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की वफ़ात के बाद जब अरब के कुछ क़बीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया तो हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) ने उनसे इस तरह जंग की, जैसे इस्लाम के दुश्मनों से की जाती है, हालाँकि वे लोग नमाज़ पढ़ते थे, ख़ुदा व रसूल का इक़रार करते थे। इससे मालूम हुआ कि ज़कात के बिना नमाज़, रोज़ा और ईमान की शहादत सब बेकार है। किसी चीज़ का भी एतबार नहीं किया जा सकता।

तमाम नबियों की उम्मत पर ज़कात फ़र्ज़ की गई

क़ुरआन मजीद उठाकर देखिए। आपको नज़र आएगा कि पुराने ज़माने से सारे नबियों की उम्मतों को नमाज़ और ज़कात का हुक्म लाज़मी तौर पर दिया गया है, और दीन इस्लाम कभी किसी नबी के ज़माने में भी इन दो चीज़ों से ख़ाली नहीं रहा। हज़रत इबराहीम (अलै०) और उनकी नस्ल के नबियों का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह फ़रमाता है—

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ○

हमने उनको इनसानों का पेशवा बनाया और वे हमारे हुक्म के मुताबिक़ लोगों की रहनुमाई करते थे। हमने वह्य के ज़रिए से उनको नेक काम करने, नमाज़ पढ़ने और ज़कात देने की तालीम

दी और वे हमारे इबादतगुज़ार बन्दे थे। (क़ुरआन, 21:73)

हज़रत इसमाईल (अलै०) के बारे में कहा गया—

وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا۝

वे अपने लोगों को नमाज़ और ज़कात का हुक्म देते थे और वे अपने रब के नज़दीक पसन्दीदा थे। (क़ुरआन, 19:55)

हज़रत मूसा (अलै०) ने अपनी क़ौम के लिए दुआ की कि ख़ुदाया! हमें इस दुनिया की भलाई भी दे और आख़िरत की भलाई भी। आपको मालूम है कि इसके जवाब में अल्लाह तआला ने क्या फ़रमाया? जवाब में कहा गया—

عَذَابِىْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ۝

मैं अपने अज़ाब में जिसे चाहूँगा घेर लूँगा, हालाँकि मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। मगर उस रहमत को मैं उन्हीं लोगों के हक़ में लिखूँगा जो मुझसे डरेंगे और ज़कात देंगे और हमारी आयतों पर ईमान लाएँगे। (क़ुरआन, 7:156)

हज़रत मूसा (अलै०) की क़ौम चूँकि छोटे दिल की थी और रुपये पर जान देती थी, जैसाकि आज भी यहूदियों का हाल आप देखते हैं, इसलिए अल्लाह तआला ने इतने बड़े मर्तबेवाले पैग़म्बर की दुआ के जवाब में साफ़ फ़रमा दिया कि तुम्हारी उम्मत अगर ज़कात की पाबन्दी करेगी, तब तो उसके लिए मेरी रहमत का वादा है, वरना अभी से साफ़ सुन रखो कि वह मेरी रहमत से महरूम हो जाएगी और मेरा अज़ाब उसे घेर लेगा। इसी वजह से मूसा (अलै०) के बाद भी बार-बार बनी इसराईल को इस बात पर तंबीह की जाती रही, बार-बार उनसे वादे लिए गए कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और नमाज़ व ज़कात की पाबन्दी करें; यहाँ तक कि आख़िर में साफ़ नोटिस दे दिया गया—

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ

بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ○

और अल्लाह ने फ़रमाया कि ऐ बनी इसराईल! अगर तुम नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते रहो और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ और जो रसूल आएँ उनकी मदद करो, और अल्लाह को अच्छा क़र्ज़ दो तो मैं तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे दूर कर दूँगा। (कुरआन, 5:12)

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से पहले आख़िरी नबी हज़रत ईसा (अलै०) थे। उनको भी अल्लाह तआला ने नमाज़ और ज़कात का साथ-साथ हुक्म दिया, जैसाकि कुरआन की सूरा मरियम में है—

وَجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصَانِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا○

अल्लाह तआला ने मुझे बरकत दी, जहाँ भी मैं हूँ मुझे हिदायत फ़रमाई कि नमाज़ पढ़ूँ और ज़कात देता रहूँ जब तक ज़िन्दा रहूँ। (कुरआन, 19:31)

इससे मालूम हो गया कि दीने इस्लाम शुरू ही से हर नबी के ज़माने में नमाज़ और ज़कात के इन दो बड़े स्तूनों पर क़ायम हुआ है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि ख़ुदा पर ईमान रखनेवाली किसी उम्मत को भी इन दो फ़र्ज़ों से माफ़ रखा गया हो।

उम्मते मुसलिमा पर ज़कात फ़र्ज़ है

अब देखिए कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शरीअत में ये दोनों फ़र्ज़ किस तरह साथ-साथ लगे हुए हैं। कुरआन मजीद खोलते ही सबसे पहले जिन आयतों पर आपकी नज़र पड़ती है, वे क्या हैं? यह कि—

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ○

यह क़ुरआन अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। यह परहेज़गारों को दुनिया में ज़िन्दगी का सीधा रास्ता बताता है और परहेज़गार वे लोग हैं जो ग़ैब पर ईमान लाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, और जो रोज़ी हमने उनको दी है उसमें से (ख़ुदा की राह में) ख़र्च करते हैं। (क़ुरआन, 2:2-3)

फिर फ़रमाया—

أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

ऐसे ही लोग अपने पालनहार की तरफ़ से हिदायत पाए हुए हैं और कामयाबी ऐसे ही लोगों के लिए है। (क़ुरआन, 2:5)

यानी जिनमें ईमान नहीं और जो नमाज़ और ज़कात के पाबन्द नहीं वे न हिदायत पर हैं और न उन्हें कामयाबी मिल सकती है।

इसके बाद इसी सूरा बक़रा को पढ़ते जाइए। कुछ पन्नों के बाद फिर हुक्म होता है—

اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ○

नमाज़ की पाबन्दी करो और ज़कात दो और रुकू करनेवालों के साथ रुकूअ करो (यानी जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ो)। (क़ुरआन, 2:43)

फिर थोड़ी दूर आगे चलकर इसी सूरा में कहा गया—

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط

أُولٰـئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولٰـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ○

नेक़ी सिर्फ़ इसका नाम नहीं है कि पूरब या पश्चिम की ओर तुमने मुँह कर लिया, बल्कि नेकी उस शख़्स की है जिसने अल्लाह और आख़िरत और फ़रिश्तों और ख़ुदा की किताबों और पैग़म्बरों पर ईमान रखा और अल्लाह की मुहब्बत में अपने ज़रूरतमंद रिश्तेदारों और यतीमों और मिसकीनों और मुसाफ़िरों और माँगनेवालों पर अपना माल ख़र्च किया, और (लोगों को क़र्ज़ या ग़ुलामी या क़ैद से) गरदनें छुड़ाने में मदद दी और नमाज़ की पाबन्दी की और ज़कात अदा की। और नेक लोग वे हैं जो वादा करने के बाद अपने वादे को पूरा करनेवाले हों और मुसीबत और नुक़सान और जंग के मौक़े पर सब्र के साथ हक़ की राह पर डट जाएँ। ऐसे ही लोग सच्चे मुसलमान हैं और ऐसे ही लोग मुत्तक़ी व परहेज़गार हैं। (क़ुरआन, 2:177)

फिर आगे देखिए! सूरा मायदा में क्या इरशाद होता है—

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰـهَ وَ رَسُـوْلَـهٗ وَالَّـذِيْـنَ اٰمَنُوْا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ○

मुसलमानो! तुम्हारे सच्चे दोस्त और मददगार सिर्फ़ अल्लाह, रसूल और ईमानदार लोग हैं, यानी ऐसे लोग जो नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते और ख़ुदा के आगे झुकते हैं। फिर जो शख़्स अल्लाह और रसूल और ईमानदार लोगों को दोस्त बनाए, वह अल्लाह की पार्टी का आदमी है और अल्लाह की पार्टी ही छा जानेवाली है। (क़ुरआन, 5:55-56)

अहले ईमान की निशानी, नमाज़ व ज़कात

इन बेहतरीन आयतों में एक बड़ा क़ायदा बयान किया गया है। सबसे

पहले तो इस आयत से आपको मालूम हो गया कि ईमानवाले सिर्फ़ वे लोग ही हैं जो नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते हैं। इस्लाम के इन दो अरकान से जो लोग मुँह फेरें, उनके ईमान का दावा ही झूठा है। फिर इस आयत से यह मालूम हुआ कि अल्लाह और रसूल और ईमानवालों की एक पार्टी है और ईमानदार आदमी का काम यह है कि सबसे अलग होकर इस पार्टी में शामिल हो जाए। जो मुसलमान इस पार्टी से बाहर रहनेवाले किसी शख़्स को चाहे वह बाप हो, भाई हो, बेटा हो, पड़ोसी हो या हम वतन हो, या कोई भी हो, अगर वह उसको अपना वली बनाएगा और उससे मुहब्बत व मददगारी का ताल्लुक़ रखेगा तो उसे यह उम्मीद न रखनी चाहिए कि अल्लाह उससे मददगारी का ताल्लुक़ रखना पसन्द फ़रमाएगा। सबसे आख़िर में इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि ईमानवालों को दुनिया में ग़लबा उसी वक़्त हासिल हो सकता है, जब वे यकसू होकर अल्लाह और रसूल (सल्ल०) और सिर्फ़ ईमानवालों ही को अपना वली, मददगार, दोस्त और साथी बनाएँ।

इस्लामी बिरादरी की बुनियादें

अब आगे चलिए! सूरा तौबा में अल्लाह तआला ने मुसलमानों को उन काफ़िरों व मुशरिकों से जंग का हुक्म दिया जो इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने पर तुले हैं और लगातार कई रुकू तक जंग ही के बारे में हिदायतें दी हैं। इस सिलसिले में इरशाद होता है—

فَإِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ○

फिर अगर वे कुफ़्र व शिर्क से तौबा करें, ईमान ले आएँ और नमाज़ पढ़ें और ज़कात दें तो वे तुम्हारे दीनी भाई हैं।

(कुरआन, 9:11)

यानी सिर्फ़ कुफ़्र व शिर्क से तौबा करना और ईमान का इक़रार कर लेना काफ़ी नहीं है। इस बात का सबूत कि वे वाक़ई कुफ़्र व शिर्क से तौबा कर चुके हैं और हक़ीक़त में ईमान लाए हैं, सिर्फ़ इस तरह मिल सकता है कि वे नमाज़ की पाबन्दी करें और ज़कात दें। इसलिए अगर

वे अपने इस अमल से अपने ईमान का सबूत दे दें तब तो तुम्हारे दीनी भाई हैं, वरना उनको भाई न समझो और उनसे जंग बन्द न करो। फिर आगे चलकर इसी सूरा में फ़रमाया—

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ○

मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक-दूसरे के मुहाफ़िज़ व मददगार हैं, और इन मोमिन मर्दों और औरतों की ख़ूबियाँ ये हैं कि वे नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज़ क़ायम करते हैं, ज़कात देते हैं और ख़ुदा और रसूल की इताअत करते हैं, ऐसे ही लोगों पर अल्लाह रहमत करेगा। (क़ुरआन, 9:71)

सुन लिया आपने! कोई शख़्स मुसलमानों का दीनी भाई बन ही नहीं सकता जब तक कि वह ईमान का इक़रार करके अमलन नमाज़ और ज़कात की पाबन्दी न करे। ईमान, नमाज़ और ज़कात ये तीन चीज़ें मिलकर ईमानवालों की जमाअत (पार्टी) बनाती हैं। जो लोग इन तीनों के पाबन्द हैं, वे इस पाक जमाअत के अन्दर हैं और उन्हीं के बीच दोस्ती, मुहब्बत और मददगारी का ताल्लुक़ है, और जो इनके पाबन्द नहीं हैं, वे इस जमाअत के बाहर हैं, भले ही वे नाम के मुसलमान क्यों न हों। उनसे दोस्ती, मुहब्बत और मदद का ताल्लुक़ का मतलब यह है कि तुमने अल्लाह के क़ानून को तोड़ दिया और अल्लाह की पार्टी को तितर-बितर कर दिया। फिर तुम दुनिया में ग़ालिब होकर रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? इस हक़ीक़त को और आगे देखिए।

अल्लाह की मदद की शर्तें

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ

فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

अल्लाह ज़रूर उनकी मदद करेगा जो उसकी मदद करेंगे। और अल्लाह ज़बरदस्त ताक़तवाला और सबपर ग़ालिब है। ये वे लोग हैं जिनको अगर हम ज़मीन में हुकूमत दें तो वे नमाज़ क़ायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे और सब चीज़ों का अंजाम ख़ुदा के हाथ में है। (क़ुरआन, 22:40-41)

इन आयतों में मुसलमानों को भी वही नोटिस दिया गया है जो बनी इसराईल को दिया गया था। अभी आपको सुना चुका हूँ कि अल्लाह तआला ने बनी इसराईल को क्या नोटिस दिया था। उनसे साफ़ फ़रमा दिया था कि मैं उसी वक़्त तुम्हारे साथ हूँ जब तक कि तुम नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते रहोगे और मेरे नबियों के मिशन में उनका साथ दोगे, यानी मेरे क़ानून को दुनिया में लागू करने की कोशिश करते रहोगे। ज्योंही तुमने इस काम को छोड़ा, मैं अपना हाथ तुम्हारी मदद से खींच लूँगा। ठीक यही बात अल्लाह ने मुसलमानों से भी फ़रमाई है। उनसे साफ़ कह दिया है कि अगर ज़मीन में ताक़त हासिल करके तुम नमाज़ क़ायम करोगे और ज़कात दोगे और नेकियाँ फैलाओगे और बुराइयों को मिटाओगे तब तो मैं तुम्हारा मददगार हूँ और जिसका मैं मददगार हूँ उसे कौन दबा सकता है। लेकिन तुमने अगर ज़कात से मुँह फेरा और ज़मीन में हुकूमत हासिल करके नेकियों के बजाए बुराइयाँ फैलाईं और बुराइयों के बजाए नेकियों को मिटाना शुरू किया और मेरा कलिमा बुलन्द करने के बजाए अपना कलिमा बुलंद करने लगे और टैक्स वुसूल करके अपने लिए ज़मीन पर जन्नतें बनाने ही को ज़मीन की विरासत का मक़सद समझ लिया, तो सुन रखो कि मेरी मदद तुम्हारे साथ न होगी, फिर शैतान ही तुम्हारा मददगार रह जाएगा।

मुसलमानों को तंबीह

अल्लाहु अकबर! कितना बड़ा इबरत का मक़ाम है। जो धमकी बनी

इसराईल को दी गई थी, उसको उन्होंने निरी ज़बानी धमकी समझा और उसके ख़िलाफ़ काम करके अपना अंजाम देख लिया कि आज ज़मीन पर मारे-मारे फिर रहे हैं, जगह-जगह से निकाले जा रहे हैं और कहीं ठिकाना नहीं पाते।[1] करोड़ों रुपयों के ख़त्ते उनके पास भरे पड़े हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा दौलतमन्द क़ौम है, मगर यह रुपया उनके किसी काम नहीं आता। नमाज़ के बजाए बदकारी और ज़कात के बजाए सूदख़ोरी का गन्दा तरीक़ा इख़तियार करके उन्होंने ख़ुद भी ख़ुदा की लानत अपने ऊपर लाद ली और अब इस लानत को लिए हुए ताऊन (प्लेग) के चूहों की तरह दुनिया भर में उसे फैलाते फिर रहे हैं। यही धमकी मुसलमानों को दी गई और मुसलमानों ने इसकी कुछ परवाह न करके नमाज़ और ज़कात से ग़फ़लत की और ख़ुदा की दी हुई ताक़त को नेकियाँ फैलाने और बुराइयों को मिटाने में इस्तेमाल करना छोड़ दिया। इसका नतीजा देख लीजिए कि हुकूमत के तख़्त से उतारकर फेंक दिए गए, दुनिया भर में ज़ालिमों के ज़रिए सताए जा रहे हैं और धरती पर हर जगह कमज़ोर और दबे हुए हैं। नमाज़ और ज़कात को छोड़ देने का बुरा नतीजा तो देख चुके। अब उनमें एक जमाअत ऐसी पैदा हुई है जो मुसलमानों को बेहयाई, फ़हश और बदकारी में फँसाना चाहती है और उनसे कह रही है कि तुम्हारी ग़रीबी का इलाज यह है कि बैंक, इन्श्योरेन्स कम्पनियाँ क़ायम करो और सूद खाना शुरू कर दो। ख़ुदा की क़सम! अगर उन्होंने यह किया तो वही रुसवाई और बेइज़्ज़ती उनपर छाकर रहेगी, जिसके यहूदी शिकार हुए हैं और ये भी ख़ुदा की उस लानत में गिरफ़्तार हो जाएँगे, जिसने बनी इसराईल को घेर रखा है।

ज़कात न देनेवालों का अंजाम

मुसलमान भाइयो! अगले ख़ुतबों में मैं आपको बताऊँगा कि ज़कात

---

1. जिस वक़्त यह ख़ुतबा दिया गया था (1938 ई०) उस वक़्त दुनिया में कहीं यहूदियों का आज़ाद मुल्क नहीं था। अब 1942 ई० से फ़िलिस्तीन की ज़मीन हड़पकर 'इसराईल' नाम से यहूदी मुल्क क़ायम किया गया है जो सुपर पावर (Super Power) के साए में पल रहा है। अपने नाजायज़ वुजूद की वजह से हमेशा ख़ौफ़ में मुबतला है और अपनी बेहयाई की हरकतों से पूरी दुनिया में नफ़रत की निगाह से देखा जाता है।

क्या चीज़ है? कितनी बड़ी ताक़त अल्लाह ने इस चीज़ में भर दी है और आज जिस ख़ुदा की रहमत को मुसलमान एक मामूली चीज़ समझ रहे हैं, वह हक़ीक़त में कितनी बड़ी बरकतें रखती है। आज के ख़ुतबे में मेरा मक़सद आपको सिर्फ़ यह बताना था कि नमाज़ और ज़कात का इस्लाम में क्या दर्जा है। बहुत-से मुसलमान यह समझते हैं और उनके मौलवी उनको रात-दिन यह इतमिनान दिलाते रहते हैं कि नमाज़ न पढ़कर और ज़कात न देकर भी वे मुसलमान रहते हैं। मगर क़ुरआन इसे साफ़ लफ़्ज़ों में ग़लत कहता है। क़ुरआन के मुताबिक़ कलिम-ए-तैय्यबा का इक़रार ही बेमानी है, अगर आदमी उसके सबूत में नमाज़ और ज़कात का पाबन्द न हो। इसी बुनियाद पर हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) ने ज़कात से इनकार करनेवालों को काफ़िर समझकर उनके ख़िलाफ़ तलवार उठाई थी, जैसाकि मैं अभी आपसे बयान कर चुका हूँ। तमाम सहाबा (रज़ि०) को शुरू में शक था कि क्या वह मुसलमान जो ख़ुदा और रसूल का इक़रार करता है और नमाज़ भी पढ़ता है, उन लोगों के साथ शामिल किया जा सकता है या नहीं, जिनपर तलवार उठाने का हुक्म है। मगर जब हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) जिनको अल्लाह ने नुबूवत के मक़ाम के क़रीब दर्जा दिया था, अपनी बात पर अड़ गए और उन्होंने इसरार के साथ फ़रमाया कि ख़ुदा की क़सम! अगर ये लोग उस ज़कात में से जो अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के ज़माने में दिया करते थे, ऊँट बाँधने की एक रस्सी भी रोकेंगे तो मैं उनपर तलवार उठाऊँगा, तो आख़िरकार तमाम सहाबा (रज़ि०) के दिलों को अल्लाह ने हक़ के लिए खोल दिया और सबने यह बात मान ली कि ज़कात से इनकार करनेवालों से जिहाद करना चाहिए। क़ुरआन मजीद तो साफ़ कहता है कि ज़कात न देना उन मुशरिकों का काम है जो आख़िरत का इनकार करते हैं।

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

तबाही है उन मुशरिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते और आख़िरत का इनकार करनेवाले हैं। (क़ुरआन, 41:6-7)

ज़कात की हक़ीक़त

मुसलमान भाइयो! पिछले ख़ुतबे में मैं बयान कर चुका हूँ कि नमाज़ के बाद इस्लाम का सबसे बड़ा रुक्न ज़कात है। और यह इतनी बड़ी चीज़ है कि जिस तरह नमाज़ से इनकार करनेवाले को काफ़िर ठहराया गया है, उसी तरह ज़कात से इनकार करनेवालों को भी न सिर्फ़ काफ़िर ठहराया गया, बल्कि सहाबा किराम (रज़ि०) ने एक राय होकर उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया।

अब मैं आज के ख़ुतबे में आपके सामने ज़कात की हक़ीक़त बयान करूँगा, ताकि आपको मालूम हो कि यह ज़कात दरअसल है क्या चीज़ और इस्लाम में इसको क्यों इतनी अहमियत दी गई है?

अल्लाह से क़ुर्बत कैसे हासिल होती है

अक़्ल व दानिश का इमतिहान

आपमें से कुछ लोग तो ऐसे सीधे-सादे होते हैं जो हर एक को दोस्त बना लेते हैं और कभी दोस्त बनाते वक़्त आदमी को परखते नहीं कि वह वाक़ई दोस्त बनाने के क़ाबिल भी है या नहीं। ऐसे लोग दोस्ती में अकसर धोखा खा जाते हैं और बाद में उनको बड़ी मायूसियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो अक़्लमंद लोग हैं, वे जिन लोगों से मिलते हैं, उनको ख़ूब परखकर, हर तरीक़े से जाँच-पड़ताल करके देखते हैं, फिर जो कोई उनमें से सच्चा, मुख़लिस, वफ़ादार आदमी मिलता है, सिर्फ़ उसी को दोस्त बनाते हैं और बेकार आदमियों को छोड़ दिया करते हैं।

अल्लाह तआला सबसे बढ़कर हकीम व दाना है। उससे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह हर किसी को अपना दोस्त बना लेगा, अपनी पार्टी में शामिल कर लेगा और अपने दरबार में इज़्ज़त और क़ुर्बत की जगह देगा। जब इनसानों की दानाई व अक़्लमन्दी का तक़ाज़ा यह है कि वे बिना जाँचे और परखे किसी को दोस्त नहीं बनाते, तो अल्लाह, जो

सारी दानाइयों और हिक्मतों का सरचश्मा है, उसके लिए तो नामुमकिन है कि बिना जाँचे और परखे हर एक को अपनी दोस्ती का दर्जा दे दे। ये करोड़ों इनसान जो ज़मीन पर फैले हुए हैं, जिनमें हर क़िस्म के आदमी पाए जाते हैं—अच्छे और बुरे—सबके सब इस क़ाबिल नहीं हो सकते कि अल्लाह की उस पार्टी में शामिल कर लिए जाएँ, जिसे अल्लाह तआला दुनिया में अपनी ख़िलाफ़त का मर्तबा और आख़िरत में अपनी क़ुर्बत का दर्जा देना चाहता है। अल्लाह ने बड़ी हिकमत के साथ कुछ इमतिहान, कुछ आज़माइशें, कुछ पैमाने जाँचने और परखने के लिए मुक़र्रर कर दिए हैं कि इनसानों में से जो कोई इनपर पूरा उतरे, वह तो अल्लाह की पार्टी में आ जाए और जो इनपर पूरा न उतरे, वह ख़ुद-बख़ुद इस पार्टी से अलग होकर रह जाए और वह ख़ुद भी जान ले कि मैं इस पार्टी में शामिल होने के क़ाबिल नहीं हूँ।

ये पैमाने क्या हैं? अल्लाह तआला चूँकि हकीम व दाना है, इसलिए सबसे पहला इमतिहान वह आदमी की हिकमत व दानाई का ही लेता है। वह देखता है कि उसमें समझ-बूझ भी है या नहीं। कोरा बुद्धू तो नहीं है। इसलिए कि जाहिल और बेवक़ूफ़ कभी दाना और हकीम का दोस्त नहीं बन सकता। जो आदमी अल्लाह की निशानियों को देखकर पहचान ले कि वही मेरा मालिक और पैदा करनेवाला है, उसके सिवा कोई माबूद, कोई पालनहार, कोई दुआएँ सुनने और मदद करनेवाला नहीं है, और जो शख़्स अल्लाह के कलाम को सुनकर जान ले कि यह मेरे मालिक का ही कलाम है, किसी और का कलाम नहीं हो सकता, और जो शख़्स सच्चे नबी और झूठे दावा करनेवालों की ज़िन्दगी, उनके अख़लाक़, उनके मामलों, उनकी तालिमात, उनके कारनामों के फ़र्क़ को ठीक-ठीक समझे और पहचान जाए कि नुबूवत का दावा करनेवालों में से फ़लाँ पाक-ज़ात तो हक़ीक़त में ख़ुदा की तरफ़ से हिदायत देने के लिए आई है और फ़लाँ दज्जाल है, धोखा देनेवाला है, ऐसा आदमी दानाई के इमतिहान में पास हो जाता है और उसको इनसानों की भीड़-भाड़ से अलग करके अल्लाह तआला अपनी पार्टी के चुने हुए उम्मीदवारों में शामिल कर लेता है, बाक़ी लोग, जो पहले ही इमतिहान में फ़ेल हो जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है कि जिधर चाहें, भटकते फिरें।

अख़लाक़ी कुव्वत की आज़माइश

इस पहले इमतिहान में जो उम्मीदवार कामयाब हो जाते हैं, उन्हें फिर दूसरे इमतिहान में शामिल होना पड़ता है। इस दूसरे इमतिहान में आदमी को अक़्ल के साथ उसकी अख़लाक़ी ताक़त को भी परखा जाता है। यह देखा जाता है कि इस आदमी में सच्चाई और नेकी को जानकर उसे मान लेने और उसपर अमल करने की और झूठ और बुराई को जानकर उसे छोड़ देने की ताक़त भी है या नहीं? यह अपने नफ़्स की ख़्वाहिशों का, बाप-दादा के पीछे चलने का, ख़ानदानी रस्मों का, दुनिया के आम ख़यालात और तौर-तरीक़ों का गुलाम तो नहीं है? उसमें यह कमज़ोरी तो नहीं है कि एक चीज़ को ख़ुदा की हिदायत के ख़िलाफ़ पाता है और जानता है कि वह बुरी है, मगर फिर भी उसी के चक्कर में पड़ा रहता है और दूसरी चीज़ को जानता है कि ख़ुदा के नज़दीक वही हक़ और पसन्दीदा है, मगर इसपर भी उसे क़बूल नहीं करता? इस इमतिहान में जो लोग फेल हो जाते हैं, उन्हें भी अल्लाह तआला अपनी पार्टी में लेने से इनकार कर देता है और सिर्फ़ उन लोगों को चुनता है, जिनकी तारीफ़ यह है—

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا○

यानी, ख़ुदा की हिदायत के ख़िलाफ़ जो भी रास्ता और तरीक़ा हो, उसे वे हिम्मत के साथ छोड़ दें, किसी चीज़ की परवा न करें और सिर्फ़ अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएँ, भले ही उसपर कोई नाराज़ हो या ख़ुश।

(क़ुरआन, 2:256)

इताअत और फ़रमाबरदारी की परख

इस इमतिहान में जो लोग कामयाब निकलते हैं, उनको फिर तीसरे दरजे का इमतिहान देना पड़ता है। इस दरजे में इताअत और फ़रमाबरदारी का इमतिहान है। यहाँ हुक्म दिया जाता है कि जब हमारी तरफ़ से ड्यूटी की

पुकार बुलंद हो तो अपनी नींद कुरबान करो और हाज़िर हो, अपने काम-काज का हरज करो और आओ। अपनी दिलचस्पियों को, अपने फ़ायदों को, अपने आनन्द और सैर-सपाटे को छोड़ो और आकर फ़र्ज़ पूरा करो। गर्मी हो, जाड़ा हो, कुछ हो हर हाल में, जब फ़र्ज़ के लिए पुकारा जाए तो हर कठिनाई को सहो और दौड़े हुए आओ। फिर जब हम हुक्म दें तो सुबह से शाम तक भूखे-प्यासे रहो, और अपने नफ़्स की ख़्वाहिशों को रोको तो इस हुक्म की पूरी-पूरी तामील होनी चाहिए, भले ही भूख-प्यास में कैसी ही तकलीफ़ हो और चाहे मज़ेदार खानों और शरबतों के ढेर ही सामने क्यों न लगे हुए हों। जो लोग इस इमतिहान में कच्चे निकलते हैं, उनसे भी कह दिया जाता है कि तुम हमारे काम के नहीं हो। चुनाव सिर्फ़ उन लोगों का होता है जो इस तीसरे इमतिहान में भी पक्के साबित होते हैं, क्योंकि सिर्फ़ उन्हीं से यह उम्मीद की जा सकती है कि ख़ुदा की तरफ़ से जो क़ानून उनके लिए बनाए जाएँगे और जो हिदायतें उनको दी जाएँगी, वे छिपे और खुले, फ़ायदे और नुक़सान, आराम और तकलीफ़, हर हाल में उनकी पाबन्दी कर सकेंगे।

माल की क़ुरबानी की जाँच

इसके बाद चौथा इमतिहान माल की क़ुरबानी का लिया जाता है। तीसरे इमतिहान के कामयाब उम्मीदवार अभी इस क़ाबिल नहीं हुए कि ख़ुदा की सेवा में बाक़ायदा ले लिए जाएँ। अभी यह देखना है कि कहीं वे छोटे दिल के, पस्त हिम्मत, कम हौसला और तंगज़र्फ़ तो नहीं हैं? उनलोगों में से तो नहीं है जो मुहब्बत और दोस्ती के दावे तो लम्बे-चौड़े करते हैं, मगर अपने महबूब और दोस्त की ख़ातिर जब गिरह से कुछ ख़र्च करने का वक़्त आता है तो बग़लें झाँकते हैं। उनका हाल उस शख़्स जैसा तो नहीं है जो ज़बान से तो माताजी-माताजी कहता है और माताजी की ख़ातिर दुनियाभर से झगड़ा भी लेता है, मगर जब वह माताजी उसके अनाज की टोकरी या उसकी सब्ज़ी के ढेर पर मुँह मारती है तो लट्ठ लेकर उसके पीछे दौड़ता है और मार-मारकर उसकी खाल उड़ा देता है। ऐसे ख़ुदग़रज़, ज़रपरस्त तंगदिल आदमी को तो मामूली दरजे का अक़्लमंद इनसान भी दोस्त नहीं बनाता और एक बड़े दिलवाला इनसान इस क़िस्म के ओछे

आदमी को अपने पास जगह देना भी पसन्द नहीं करता। फिर भला वह बुज़ुर्ग व बरतर ख़ुदा, जो अपने ख़ज़ाने हर वक़्त अपनी अनगिनत मख़लूक़ पर हद से ज़्यादा लुटा रहा है, ऐसे शख़्स को अपनी दोस्ती के क़ाबिल कब समझ सकता है जो ख़ुदा के दिए हुए माल को ख़ुदा की राह में ख़र्च करते हुए भी जी चुराता हो? और वह ख़ुदा जिसकी दानाई व हिकमत सबसे बढ़कर है, किस तरह ऐसे आदमी को अपनी पार्टी में शामिल कर सकता है, जिसकी दोस्ती व मुहब्बत सिर्फ़ ज़बानी जमा ख़र्च तक हो और जिसपर कभी भरोसा न किया जा सकता हो? बस जो लोग इस चौथे इमतिहान में फ़ेल हो जाते हैं, उनको भी साफ़ जवाब दे दिया जाता है कि जाओ, तुम्हारे लिए अल्लाह की पार्टी में जगह नहीं है। तुम भी नाकारा हो और तुम इस सबसे बड़ी ख़िदमत का बोझ सँभालने के क़ाबिल नहीं हो जो ख़ुदा के ख़लीफ़ा के सुपुर्द की जाती है। इस पार्टी में तो सिर्फ़ वे लोग शामिल किए जाते हैं जो अल्लाह की मुहब्बत पर जान, माल, औलाद, ख़ानदान, वतन हर चीज़ की मुहब्बत को क़ुरबान कर दें—

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ○

तुम नेकी के दर्जे को नहीं पा सकते जब तक वे चीज़ें ख़ुदा की राह में क़ुरबान न करो जिनसे तुमको मुहब्बत है। (क़ुरआन, 3:92)

हिज़्बुल्लाह (अल्लाह की जमाअत) के लिए मतलूबा सिफ़ात

(1) तंगदिल न हों

इस पार्टी में तंगदिलों के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें तो सिर्फ़ वही लोग दाख़िल हो सकते हैं, जिनके दिल बड़े हों।

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

जो लोग दिल की तंगी से बच गए, वही फ़लाह पानेवाले हैं।

(क़ुरआन, 59:9)

(2) बड़े हौसलेवाले हों

यहाँ तो ऐसे बड़े हौसलेवाले लोगों की ज़रूरत है कि अगर किसी आदमी

ने उनके साथ दुशमनी भी की हो, उनको रंज और नुक़सान भी पहुँचाया हो, उनके दिल के टुकड़े भी उड़ा दिए हों, तब भी वे ख़ुदा की ख़ातिर उसके पेट को रोटी और उसके तन को कपड़ा देने से इनकार न करें और उसकी मुसीबत के वक़्त उसकी मदद से झिझकें नहीं।

وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○

तुममें से जो बड़े और खाते-पीते लोग हैं वे अपने अज़ीज़ों, मिसकीनों और ख़ुदा की राह में हिजरत करनेवालों की मदद से हाथ न खींच लें, बल्कि चाहिए कि उनको माफ़ करें और दरगुज़र करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख़्शे? हालाँकि अल्लाह बड़ा बख़्शनेवाला और रहम करनेवाला है।[1] (क़ुरआन, 24:22)

(3) बड़े दिलवाले हों

यहाँ उन बड़े दिलवालों की ज़रूरत है जो—

يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا

सिर्फ़ ख़ुदा की मुहब्बत में मिसकीन और यतीम और क़ैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ़ ख़ुदा के लिए तुम्हें खिला रहे हैं, तुमसे कोई बदला या शुक्रिया नहीं चाहते।

(क़ुरआन, 76:8-9)

(4) पाक दिल हों

यहाँ उन पाक दिलवालों की ज़रूरत है जो ख़ुदा की दी हुई दौलत

---

1. यह आयत उस मौक़े पर नाज़िल हुई थी जब हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) के एक रिश्तेदार ने आपकी लड़की हज़रत आइशा (रज़ि०) पर इलज़ाम लगाने में हिस्सा लिया था और हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) ने इस नामुनासिब हरकत से नाराज़ होकर उसकी माली मदद बन्द कर दी थी। जब यह आयत नाज़िल हुई तो हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) काँप उठे और उन्होंने कहा कि मैं अपने ख़ुदा की बख़्शिश चाहता हूँ और उस आदमी की फिर मदद शुरू कर दी, जिसने उनको इतनी ज़्यादा रूहानी तकलीफ़ पहुँचाई थी।

में से ख़ुदा की राह में अच्छे से अच्छा माल छाँटकर दें।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ۝

ऐ ईमानवालो! तुमने जो माल कमाए हैं और जो रोज़ी तुम्हारे लिए हमने ज़मीन से निकाली है, उसमें से अच्छा माल ख़ुदा की राह में ख़र्च करो। बुरे-से-बुरा छाँटकर मत दो।

(क़ुरआन, 2:267)

(5) तंगदस्ती और ग़रीबी में भी ख़र्च करें

यहाँ उन बड़ी हिम्मतवालों की ज़रूरत है जो तंगदस्ती और ग़रीबी की हालत में भी अपना पेट काटकर ख़ुदा के दीन की ख़िदमत और ख़ुदा के बन्दों की मदद में रुपया ख़र्च करने में झिझकते नहीं।

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ۝

अपने पालनहार की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ़ लपको, जिसका फैलाव ज़मीन और आसमान के बराबर है और जो तैयार करके रखी गई है उन परहेज़गार लोगों के लिए जो ख़ुशहाली और तंगहाली दोनों हालतों में ख़ुदा के लिए ख़र्च करते हैं।

(क़ुरआन, 3:133-134)

(6) फ़य्याज़ और सख़ी हों

यहाँ उन ईमानदारों की ज़रूरत है जो सच्चे दिल से इस बात पर यक़ीन रखते हैं कि जो ख़ुदा की राह में ख़र्च किया जाएगा वह बेकार न होगा, बल्कि ख़ुदा दुनिया और आख़िरत में इसका सबसे अच्छा बदला देगा। इसलिए वह सिर्फ़ ख़ुदा की ख़ुशी हासिल करने के लिए ख़र्च करते हैं। इस बात की कोई परवा नहीं करते कि लोगों को उनकी फ़ैयाज़ी और सख़ावत का हाल मालूम हुआ या नहीं और किसी ने उनकी बख़्शिश का शुक्रिया अदा किया या नहीं।

وَمَا تُنْفِقُوامِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْا إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ إِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ○

तुम जो कुछ भी हक़ की राह में ख़र्च करोगे, वह तुम्हारे ही लिए भलाई है, जबकि तुम अपने इस ख़र्च में ख़ुदा के सिवा किसी और की ख़ुशनूदी नहीं चाहते, इस तरह जो कुछ भी तुम अच्छे काम में ख़र्च करोगे, उसका पूरा-पूरा फ़ायदा तुमको मिलेगा और तुम्हारे साथ ज़र्रा बराबर ज़ुल्म न होगा। (क़ुरआन, 2:272)

(7) हर हाल में ख़ुदा को याद रखें

यहाँ उन बहादुरों की ज़रूरत है जो दौलतमन्दी और ख़ुशहाली में भी ख़ुदा को नहीं भूलते, जिनको महलों में बैठकर और नाज़ो नेमत में रहकर भी ख़ुदा याद रहता है।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِاللّٰهِ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُوْلٰـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ○

ऐ ईमानवालो! माल और औलाद की मुहब्बत तुमको ख़ुदा की याद से ग़ाफ़िल न कर दे। जो ऐसा करेगा ख़ुद वह घाटे में रहनेवाला है। (क़ुरआन, 63:9)

ये अल्लाह की पार्टी में शामिल होनेवालों की ज़रूरी ख़ूबियाँ हैं। इनके बिना कोई भी आदमी ख़ुदा के दोस्तों में शामिल नहीं हो सकता। असल में यह इनसान के अख़लाक़ ही का नहीं, बल्कि उसके ईमान का भी बहुत कड़ा और सख़्त इमतिहान है। जो आदमी ख़ुदा की राह में ख़र्च करने से जी चुराता है, उस ख़र्च को अपने ऊपर जुर्माना समझता है, हीलों और बहानों से बचाव की सूरतें निकालता है और अगर ख़र्च करता है तो अपनी तकलीफ़ का बुख़ार लोगों पर एहसान रखकर निकालने की कोशिश करता है या यह चाहता है कि उसकी सख़ावत का दुनिया में प्रोपेगण्डा किया जाए। असल में वह ख़ुदा और आख़िरत पर ईमान ही नहीं रखता। वह

समझता है कि ख़ुदा की राह में जो कुछ गया वह बेकार गया। उसको अपना सुख, अपना आराम, अपनी लज़्ज़तें, अपने फ़ायदे और अपनी नामवरी, ख़ुदा से और उसकी ख़ुशी से ज़्यादा प्यारी होती है। वह समझता है कि जो कुछ है यही दुनिया की ज़िन्दगी है। अगर रुपया ख़र्च किया जाए तो इसी दुनिया में नाम और शोहरत होनी चाहिए, ताकि इस रुपये की क़ीमत यहीं वुसूल हो जाए, वरना रुपया भी गया और किसी को यह मालूम भी न हुआ कि फ़लाँ साहब ने फ़लाँ अच्छे काम में इतना माल ख़र्च किया है तो मानो सब मिट्टी में मिल गया। क़ुरआन मजीद में साफ़ फ़रमा दिया गया है कि इस क़िस्म का आदमी ख़ुदा के काम का नहीं। वह अगर ईमान का दावा करता है तो मुनाफ़िक़ है। चुनाँचे नीचे की आयतों पर ग़ौर करें—

(8) एहसान न जतलाएँ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ○

ऐ ईमानवालो! अपनी ख़ैरात को एहसान रखकर और तकलीफ़ पहुँचाकर बेकार न कर दो उस आदमी की तरह जो सिर्फ़ लोगों को दिखाने और नाम चाहने के लिए ख़र्च करता है और अल्लाह और आख़िरत पर ईमान नहीं रखता है। (क़ुरआन, 2:267)

(9) माल जमा न करें

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

जो लोग सोना और चाँदी जमा करके रखते हैं और उसे ख़ुदा की राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें सख़्त सज़ा की ख़बर दे दो। (क़ुरआन, 9:34)

(10) अल्लाह की राह में रुख़सत तलब न करें

لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ○ اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِىْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ○

ऐ नबी ! जो लोग अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हैं, वे तो कभी न चाहेंगे कि उन्हें अपने जान व माल के साथ जिहाद में हिस्सा लेने से माफ़ रखा जाए। अल्लाह अपने परहेज़गार बन्दों को ख़ूब जानता है। ऐसी इजाज़त (जिहाद से छूट की) तो सिर्फ़ वही लोग चाहते हैं जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिलों में शक है और वे अपने शक ही में परेशान हो रहे हैं।

(क़ुरआन, 9:44-45)

(11) राहे ख़ुदा में ख़ुशदिली से इताअत करें

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اِلاَّ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُوْلِهٖ وَ لاَ يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلاَّ وَهُمْ كُسَالٰى وَلاَ يُنْفِقُوْنَ اِلاَّ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ○

ख़ुदा की राह में उनके ख़र्च किए हुए माल सिर्फ़ इसलिए क़बूल नहीं किए जा सकते कि वे असल में अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं रखते, नमाज़ को आते हैं तो दिल मसोसे हुए और माल ख़र्च करते हैं तो नाक-भौं चढ़ाकर। (क़ुरआन, 9:54)

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْۢ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ط نَسُوْا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ○

मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफ़िक़ औरतें सब एक थैली के चट्टे-बट्टे हैं, वे बुराई का हुक्म देते हैं और नेकी से मना करते हैं और ख़ुदा की राह में माल ख़र्च करने से हाथ रोकते हैं। वे ख़ुदा को भूल गए और ख़ुदा ने उनको भुला दिया, बेशक यही मुनाफ़िक़ और फ़ासिक़ हैं। (क़ुरआन, 9:67)

(12) राहे ख़ुदा में ख़र्च को जुर्माना न समझें

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُمَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا○

इन आराब यानी मुनाफ़िक़ों में से कुछ वे लोग भी हैं जो ख़ुदा की राह में ख़र्च करते भी हैं तो ज़बरदस्ती का जुर्माना समझकर। (क़ुरआन, 9:98)

(13) कंजूस न हों

هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ○

तुम लोग ऐसे हो कि जब तुमसे ख़ुदा की राह में ख़र्च करने के लिए कहा जाता है, तो तुममें से बहुत-से लोग कंजूसी करते हैं और जो इस काम में कंजूसी करता है वह ख़ुद अपने ही लिए कंजूसी करता है। अल्लाह तो ग़नी है। तुम ही उसके मुहताज हो। अगर तुमने ख़ुदा के काम में ख़र्च करने से मुँह मोड़ा तो वह तुम्हारी जगह दूसरी क़ौम को ले आएगा और वे तुम जैसे न होंगे। (क़ुरआन, 47:38)

मुसलमान भाइयो! यह है उस ज़कात की हक़ीक़त जो आपके दीन का एक स्तंभ है। इसको दुनिया की हुकूमतों के टैक्सों की तरह सिर्फ़ एक टैक्स न समझिए; बल्कि असल में यह इस्लाम की रूह और जान है।

यह हक़ीक़त में ईमान का इमतिहान है। जिस तरह इमतिहानों में बैठकर एक दर्जे से दूसरे दर्जे में आदमी तरक़्क़ी करता है, यहाँ तक कि आख़िरी इमतिहान देकर ग्रेजुएट बनता है, उसी तरह ख़ुदा के यहाँ भी कई इमतिहान हैं, जिनसे आदमी को गुज़रना पड़ता है, और जब वह चौथे इमतिहान यानी माल की क़ुरबानी का इमतिहान कामयाबी के साथ दे देता है, तब वह पूरा मुसलमान बनता है, हालाँकि यह आख़िरी इमतिहान नहीं है। इसके बाद सबसे ज़्यादा सख़्त इमतिहान जान की क़ुरबानी का है। जिसे मैं आगे चलकर बयान करूँगा। लेकिन इस्लाम के दायरे में या दूसरे लफ़्ज़ों में अल्लाह की पार्टी में आने के लिए दाख़िले के जो इमतिहान मुक़र्रर किए गए हैं, उनमें से यह आख़िरी इमतिहान है। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि ख़र्च करने और रुपया बहाने की नसीहतें तो मुसलमानों को बहुत सुनाई जा चुकीं, अब इस ग़रीबी और मुफ़लिसी की हालत में तो उन्हें कमाने और जमा करने की नसीहतें देनी चाहिएँ, मगर उन्हें मालूम नहीं कि यह चीज़ जिसपर वे नाक-भौं चढ़ाते हैं, असल में यही इस्लाम की रूह है और मुसलमानों को जिस चीज़ ने पस्ती और ज़िल्लत के गढ़े में गिराया है, वह असल में इसी रूह की कमी है। मुसलमान इसलिए नहीं गिरे कि इस रूह ने उनको गिरा दिया, बल्कि इसलिए गिरे हैं कि यह रूह उनसे निकल गई है।

अगले ख़ुतबों में आपको बताऊँगा कि ज़कात और सदक़े हक़ीक़त में हमारी इजतिमाई ज़िन्दगी की जान हैं और उनमें हमारे लिए आख़िरत ही की नहीं, बल्कि दुनियाँ की भी सारी नेमतें जमा कर दी गई हैं।

समाजी और इजतिमाई ज़िन्दगी में ज़कात का दर्जा

मुसलमान भाइयो! इससे पहले दो ख़ुतबों में मैं आपके सामने ज़कात की हक़ीक़त बयान कर चुका हूँ। अब मैं आपके सामने उसके एक-दूसरे पहलू पर रौशनी डालूँगा।

अल्लाह की शाने करीमी

क़ुरआन मजीद में ज़कात और सदक़ों के लिए जगह-जगह 'इनफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी 'अल्लाह की राह में ख़र्च करना'। कुछ जगहों पर यह भी कहा गया है कि जो कुछ तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो, वह अल्लाह के ज़िम्मे 'क़र्ज़-हसना' (अच्छा क़र्ज़) है, मानो तुम अल्लाह को क़र्ज़ देते हो और अल्लाह तआला तुम्हारा क़र्ज़दार हो जाता है। बहुत-सी जगहों पर यह भी कहा गया है कि अल्लाह की राह में जो कुछ तुम दोगे, उसका बदला अल्लाह के ज़िम्मे है और वह सिर्फ़ उतना ही तुमको वापिस नहीं करेगा, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा देगा। इस मज़मून पर ग़ौर कीजिए। क्या ज़मीन व आसमान का वह मालिक (अल्लाह की पनाह) आपका मुहताज है? क्या उस पाक ज़ात को आपसे क़र्ज़ लेने की ज़रूरत है? क्या वह बादशाहों का बादशाह, अनगिनत ख़ज़ानों का मालिक, अपने लिए आपसे कुछ माँगता है? अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह! उसी की देन पर तो आप पल रहे हैं, उसी की दी हुई रोज़ी तो आप खाते हैं, आपमें से हर अमीर और ग़रीब के पास जो कुछ है सब उसी का तो दिया हुआ है। आपके एक फ़क़ीर से लेकर एक करोड़पति और अरबपति तक हर शख़्स उसके करम का मुहताज है और वह किसी का मुहताज नहीं। उसको क्या ज़रूरत कि आपसे क़र्ज़ माँगे और अपनी ज़ात के लिए आपके आगे हाथ फैलाए? असल में यह भी उसी दाता की शान है कि वह आपसे ख़ुद आप ही के फ़ायदे के लिए,

आप ही की भलाई के लिए, आप ही के काम में ख़र्च करने को फ़रमाता है और कहता है यह ख़र्च मेरी राह में है, मुझपर क़र्ज़ है, मेरे ज़िम्मे इसका बदला है और मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। तुम अपनी क़ौम के मुहताजों और ग़रीबों को दो। इसका बदला वे ग़रीब कहाँ से देंगे, उनकी तरफ़ से मैं दूँगा। तुम अपने ग़रीब रिश्तेदारों की मदद करो, उसका एहसान उनपर नहीं मुझपर है। मैं तुम्हारे इस एहसान को उतारूँगा। तुम अपने यतीमों, अपनी बेवाओं, अपने मजबूरों, अपने मुसाफ़िरों, अपने मुसीबत में फँसे हुए भाइयों को जो कुछ दो, उसे मेरे हिसाब में लिख लो। तुम्हारी माँग उनके ज़िम्मे नहीं, मेरे ज़िम्मे है और मैं उसको अदा करूँगा। तुम अपने परेशान भाइयों को क़र्ज़ दो और उनसे सूद न माँगो। उनको तंग न करो। अगर वे अदा करने के क़ाबिल न हों तो उनको जेल न भिजवाओ। उनके कपड़े और घर के बर्तन न बिकवाओ। उनके बाल-बच्चों को घर से बेघर न करो। तुम्हारा क़र्ज़ उनके ज़िम्मे नहीं, मेरे ज़िम्मे है। अगर वे असल धन अदा कर देंगे, तो उनकी तरफ़ से सूद मैं अदा कर दूँगा और अगर वे असल धन भी अदा न कर सकेंगे तो मैं असल और सूद दोनों तुम्हें दूँगा। इस तरह अपनी समाजी भलाई के कामों में, अपने ही लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए जो कुछ तुम ख़र्च करोगे, इसका फ़ायदा हालाँकि तुम्हीं को मिलेगा, मगर इसका एहसान मुझपर होगा। मैं उसकी पाई-पाई मुनाफ़े के साथ तुम्हें वापस दूँगा।

यह है उस दाताओं के दाता, उस बादशाहों के बादशाह की शान। आपके पास जो कुछ है, उसी का दिया हुआ है। आप कहीं और से नहीं लाते, उसी के ख़ज़ानों से लेते हैं, और फिर जो कुछ देते हैं, उसको नहीं देते, अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही भाई-बन्दों, अपनी ही क़ौम के लोगों को देते हैं या अपनी समाजी भलाई पर ख़र्च करते हैं, जिसका फ़ायदा आख़िरकार आप ही को पहुँचता है, मगर उस असली दानी को देखिए कि जो कुछ आप उससे ले-लेकर अपनों को देते हैं, उसे वह फ़रमाता है कि तुमने मुझे दिया, मेरी राह में दिया, मुझे क़र्ज़ दिया, मैं उसका बदला तुम्हें दूँगा। अल्लाहु अकबर! ख़ुदा वन्द आलम ही को यह शाने करीमी ज़ेब देती है। उसी बेनियाज़ बादशाह का यह मक़ाम है कि फ़य्याज़ी और सख़ावत के इस सबसे ऊँचे कमाल को ज़ाहिर करे। कोई आदमी इतने

ऊँचे ख़याल के बारे में सोच भी नहीं सकता।

इनफ़ाक़ की तलक़ीन क्यों?

अच्छा, अब इस बात पर ग़ौर कीजिए कि अल्लाह तआला ने आदमी को नेकी और फ़य्याज़ी पर उभारने का यह ढंग क्यों अपनाया? इस सवाल पर जितना ज़्यादा आप ग़ौर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपपर इस्लामी तालीमात की पाकीज़गी का हाल खुलेगा और आपका दिल गवाही देता चला जाएगा कि ऐसी बेमिसाल तालीम ख़ुदा के सिवा किसी और की तरफ़ से नहीं हो सकती।

इनसान ख़ुदग़रज़ है

आप जानते हैं कि इनसान कुछ अपनी फ़ितरत ही से नाशुक्रा है। इसकी नज़र तंग है। यह ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकता। इसका दिल छोटा है, ज़्यादा बड़े और अच्छे ख़याल इसमें कम ही समा सकते हैं। यह ख़ुदग़रज़ है और अपनी ग़रज़ का भी कोई लम्बा-चौड़ा ख़याल इसके दिमाग़ में पैदा नहीं होता।

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۝

इनसान जल्दबाज़ पैदा किया गया है। (क़ुरआन, 21:37)

यह हर चीज़ का नतीजा और फ़ायदा जल्दी देखना चाहता है और उसी नतीजे को नतीजा और उसी फ़ायदे को फ़ायदा समझता है, जो जल्दी से उसके सामने आ जाए और उसको महसूस हो जाए। दूर के नतीजों तक उसकी निगाह नहीं पहुँचती और बड़े पैमाने पर जो फ़ायदे हासिल होते हैं, जिन फ़ायदों का सिलसिला बहुत दूर तक चलता है, उनका इल्म तो उसे मुशकिल ही से होता है, बल्कि कभी-कभी तो होता ही नहीं। यह आदमी की फ़ितरी कमज़ोरी है और इस कमज़ोरी का असर यह होता है कि हर चीज़ में वह अपने निजी फ़ायदे को देखता है और फ़ायदा भी वह जो बहुत छोटे पैमाने पर हो, जल्दी से हासिल हो जाए और उसको महसूस हो जाए। यह कहता है कि जो कुछ मैंने कमाया है, या जो कुछ अपने

बाप-दादा से मिला है, वह मेरा है। इसमें किसी का हिस्सा नहीं, इसको मेरी ज़रूरतों पर, मेरी ख़्वाहिशों पर, मेरे आराम और मेरे सुख पर ख़र्च हो जाना चाहिए या किसी ऐसे काम में ख़र्च होना चाहिए जिसका नफ़ा जल्दी से मेरे पास पलट आए। मैं रुपया ख़र्च करूँ तो उसके बदले में या तो मेरे पास उससे ज़्यादा रुपया आना चाहिए, या मेरे सुख-चैन में और इज़ाफ़ा होना चाहिए या कम से कम यही हो कि मेरा नाम बढ़े, मेरी शोहरत हो, मेरी इज़्ज़त बढ़े, मुझे कोई पदवी मिले, ऊँची कुर्सी मिले, लोग मेरे सामने झुकें और ज़बानों पर मेरी चर्चा हो। अगर इन बातों में से कुछ भी मुझे हासिल नहीं होता तो आख़िर मैं क्यों अपना माल अपने हाथों से दूँ? क़रीब में यतीम भूखा मर रहा है या बेसहारा फिर रहा है तो मैं क्यों उसकी देखभाल करूँ? उसंका हक़ उसके बाप पर था, उसे अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहिए था या बीमा कराना चाहिए था। कोई बेवा अगर मेरे मुहल्ले में मुसीबत के दिन काट रही है तो मुझे क्या? उसके शौहर को उसकी फ़िक्र करनी चाहिए थी। कोई मुसाफ़िर अगर भटकता फिर रहा है तो मुझसे क्या ताल्लुक़? वह बेवकूफ़ अपना इनतिज़ाम किए बिना घर से क्यों निकल खड़ा हुआ? कोई आदमी अगर परेशान है तो हुआ करे, उसे भी अल्लाह ने मेरी ही तरह हाथ-पाँव दिए हैं, अपनी ज़रूरतें उसे ख़ुद पूरी करनी चाहिएँ, मैं उसकी क्यों मदद करूँ? मैं उसे दूँगा तो क़र्ज़ दूँगा और असल के साथ सूद भी वसूल करूँगा, क्योंकि मेरा रुपया कुछ बेकार तो है नहीं। मैं इससे मकान बनवाता या मोटर ख़रीदता या किसी फ़ायदे के काम पर लगाता। यह भी इससे कुछ न कुछ फ़ायदा ही उठाएगा, फिर क्यों न मैं इस फ़ायदे में से अपना हिस्सा वुसूल करूँ?

ख़ुदग़रज़ीवाली ज़ेहनियत के नतीजे

इस ख़ुदग़रज़ीवाली ज़ेहनियत के साथ पहले तो रुपयेवाला आदमी ख़ज़ाने का साँप बनकर रहेगा या ख़र्च करेगा तो अपने निजी फ़ायदे के लिए करेगा। जहाँ उसको अपना फ़ायदा नज़र न आएगा वहाँ एक पैसा भी उसकी जेब से न निकलेगा। अगर किसी ग़रीब आदमी की उसने मदद की भी तो असल में उसकी मदद न करेगा, बल्कि उसको लूटेगा और जो कुछ उसे देगा, उससे ज़्यादा वुसूल कर लेगा। अगर किसी मिसकीन को कुछ देगा तो उसपर

हज़ारों एहसान रखकर उसकी आधी जान निकाल लेगा और उसको इतना बेइज़्ज़त व रुसवा करेगा कि उसमें उसका कोई ख़ुद्दारी बाक़ी न रह सकेगी। अगर किसी क़ौमी काम में हिस्सा लेगा तो सबसे पहले यह देख लेगा कि इसमें मेरा निजी फ़ायदा कितना है। जिन कामों में उसका कोई निजी फ़ायदा न हो, वे सब उसकी मदद से महरूम रह जाएँगे।

इस ज़ेहनियत के नतीजे क्या हैं? इसके नतीजे सिर्फ़ समाजी ज़िन्दगी ही के लिए घातक नहीं हैं, बल्कि आख़िरकार ख़ुद उस शख़्स के लिए भी नुक़सानदेह हैं जो तंग नज़री और जिहालत की वजह से उसको अपने लिए फ़ायदेमन्द समझता है। जब लोगों में यह ज़ेहनियत काम कर रही हो तो थोड़े-से आदमियों के पास दौलत सिमट-सिमटकर इकट्ठी होती चली जाती है और अनगिनत आदमी बेरोज़गार होते चले जाते हैं। दौलतमन्द लोग रुपये के ज़ोर से रुपया खींचते रहते हैं और ग़रीब लोगों की ज़िन्दगी दिन-ब-दिन तंग होती जाती है। ग़रीबी जिस सोसायटी में फैल गई हो वह तरह-तरह की ख़राबियों में फँसी होती है। उसकी जिसमानी सेहत ख़राब होती है। उसमें बीमारियाँ फैलती हैं। उसमें काम करने और दौलत पैदा करने की ताक़त कम होती चली जाती है। उसमें जिहालत बढ़ती चली जाती है। उसके अख़लाक़ गिरने लगते हैं। वह अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपराध करने लगती है और आख़िरकार यहाँ तक नौबत पहुँचती है कि वह लूट-मार पर उतर आती है। आम बलवे होते हैं। दौलतमन्द लोग क़त्ल किए जाते हैं। उनके घरबार लूटे और जलाए जाते हैं और वे इस तरह तबाह और बरबाद होते हैं कि उनका नाम व निशान तक दुनिया में बाक़ी नहीं रहता।

इजतिमा की फ़लाह में फ़र्द की फ़लाह है

अगर आप ग़ौर करें तो आपको मालूम हो सकता है कि हक़ीक़त में हर शख़्स की भलाई उस समाज की भलाई के साथ जुड़ी हुई है जिसके दायरे में वह रहता है। आपके पास जो दौलत है, अगर आप उसमें से अपने दूसरे भाइयों की मदद करें तो वह दौलत चक्कर लगाती हुई बहुत-से फ़ायदों के साथ फिर आपके पास पलट आएगी और अगर आप तंग नज़री के साथ उसको अपने पास जमा रखेंगे या सिर्फ़ अपने ही निजी फ़ायदे

के लिए ख़र्च करेंगे तो आख़िरकार घटती चली जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक यतीम बच्चे की परवरिश की और उसे तालीम देकर इस क़ाबिल बना दिया कि वह आपके समाज का एक कमानेवाला मेम्बर बन जाए तो मानो आपने समाज की दौलत को बढ़ाया और ज़ाहिर है कि समाज की दौलत बढ़ेगी तो आप जो समाज के एक मेम्बर हैं, आपको भी इस दौलत में से बहरहाल हिस्सा मिलेगा, चाहे आपको किसी हिसाब से यह मालूम न हो सके कि यह हिस्सा आपको उस ख़ास यतीम की क़ाबलियत से पहुँचा है, जिसकी आपने मदद की थी। लेकिन अगर आपने ख़ुदगरज़ी और तंगनज़री से काम लेकर यह कहा कि मैं इसकी मदद क्यों करूँ, इसके बाप को इसके लिए ख़ुद कुछ न कुछ छोड़ना चाहिए था, तो वह आवारा फिरेगा, एक बेकार आदमी बनकर रह जाएगा। उसमें यह क़ाबलियत ही न पैदा हो सकेगी कि अपनी मेहनत से समाज की दौलत में कुछ इज़ाफ़ा कर सके, बल्कि कुछ अजब नहीं कि वह अपराध करनेवाला बन जाए और एक रोज़ ख़ुद आपके घर में सेंध लगाए। इसके माने ये हुए कि आपने अपने समाज के एक मेम्बर को बेकार, आवारा और जरायम-पेशा बनाकर उसका ही नहीं, ख़ुद अपना भी नुक़सान किया। इस एक मिसाल को ध्यान में रखकर आप ज़रा ग़ौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो आदमी बेग़रज़ी के साथ समाज की भलाई के लिए रुपया ख़र्च करता है, उसका रुपया तो ज़ाहिर में उसकी जेब से निकल जाता है, मगर बाहर वह बढ़ता और फलता-फूलता चला जाता है, यहाँ तक कि आख़िर में वह अनगिनत फ़ायदों के साथ उसी की जेब में वापस आता है, जिससे वह कभी निकला था। और जो शख़्स ख़ुदग़रज़ी और तंगनज़री के साथ रुपए को अपने पास रोके रखता है और समाज की भलाई पर ख़र्च नहीं करता, वह ज़ाहिर में तो अपना रुपया बचाए रखता है या सूद खाकर उसे बढ़ाता है, मगर हक़ीक़त में अपनी बेवक़ूफ़ी से अपनी दौलत घटाता है और अपने हाथों अपनी बरबादी का सामान करता है। यही राज़ है जिसको अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद में इस तरह बयान फ़रमाया है—

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِی الصَّدَقَاتِ۝ (البقرۃ:٢٧٦)

अल्लाह सूद का मठ मार देता है (अर्थात् घटाता और मिटाता

है) और सदक़ात को बढ़ाता है। (क़ुरआन, 2:276)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوْا فِي اَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُوْلٰـئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ○

"तुम जो सूद देते हो इस ग़रज़ के लिए कि यह लोगों की दौलत वढ़ाए, तो असल में अल्लाह के नज़दीक इससे दौलत नहीं बढ़ती, अलबत्ता जो ज़कात तुम सिर्फ़ अल्लाह की ख़ुशनूदी के लिए देते हो, वह दुगुनी-चौगुनी होती चली जाती है।" (क़ुरआन, 30:39)

लेकिन इस राज़ को समझने और इसके मुताबिक़ अमल करने में इनसान की तंगनज़री और उसकी जिहालत रोड़ा बनी हुई है। वह महसूसात का बन्दा है। जो रुपया उसकी जेब में है, उसको तो वह देख सकता है कि उसकी जेब में है। जो रुपया उसके बही-खाते के हिसाब से बढ़ रहा है, उसको भी वह जानता है कि हक़ीक़त में बढ़ रहा है। मगर जो रुपया उसके पास से चला जाता है, उसको यह नहीं देख सकता कि वह कहाँ बढ़ रहा है, किस तरह बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, और कब उसके पास फ़ायदों और मुनाफ़ों के साथ वापस आता है। वह तो बस यही समझता है कि इतना ज़्यादा रुपया मेरे पास से गया और हमेशा के लिए चला गया।

इस जिहालत की गाँठ को आज तक इनसान अपनी अक़्ल या अपनी कोशिश से नहीं खोल सका। तमाम दुनिया में यही हाल है। एक तरफ़ दौलतमन्दों की दुनिया है जहाँ सारे काम सूद ख़ोरी पर चल रहे हैं और दौलत की ज़्यादती के बाद भी दिनों-दिन मुसीबतें और परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ़ एक ऐसा गिरोह पैदा हो चुका है और बढ़ता चला जा रहा है, जिसके दिल में हसद की आग जल रही है और जो दौलतमन्दों के ख़ज़ानों पर डाका मारने के साथ इनसानी तहज़ीब और तमद्दुन की सारी बिसात भी उलट देना चाहता है।

मुशकिलों का हल

इस पेचीदगी को उस हकीम व दाना हस्ती ने हल किया है, जिसकी

पाक किताब का नाम 'क़ुरआन' है। इस ताले की कुंजी 'अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान लाना' है। अगर आदमी ख़ुदा पर ईमान ले आए और यह जान ले कि ज़मीन व आसमान के ख़ज़ानों का असल मालिक ख़ुदा है और इनसानी मामलों का इनतिज़ाम असल में ख़ुदा ही के हाथ में है, और ख़ुदा के पास एक-एक ज़र्रे का हिसाब है और इनसान की सारी भलाइयों और बुराइयों की आख़िरी जज़ा व सज़ा ठीक-ठीक हिसाब के मुताबिक़ आख़िरत में मिलेगी, तो उसके लिए यह बिलकुल आसान हो जाएगा कि अपनी नज़र पर भरोसा करने के बजाए ख़ुदा पर भरोसा करे और अपनी दौलत को अल्लाह की हिदायत के मुताबिक़ ख़र्च करे और उसके नफ़ा व नुक़सान को ख़ुदा पर छोड़ दे। इस ईमान के साथ वह जो कुछ ख़र्च करेगा वह असल में ख़ुदा को देगा। उसका हिसाब-किताब भी ख़ुदा के बही-खाते में लिखा जाएगा। भले ही दुनिया में किसी को उसके एहसान का इल्म हो या न हो, मगर ख़ुदा के इल्म में ज़रूर आएगा और भले ही कोई उसका एहसान माने या न माने, ख़ुदा उसके एहसान को ज़रूर मानेगा और जानेगा। और ख़ुदा का जब यह वायदा हो चुका है कि वह उसका बदला देगा तो यक़ीन है कि वह उसका बदला ज़रूर देगा, भले ही आख़िरत में दे या दुनिया और आख़िरत दोनों में दे।

अल्लाह की राह में ख़र्च करने के आम हुक्म

हुक्म की दो क़िस्में — आम और ख़ास

मुसलमान भाइयो! अल्लाह तआला ने अपनी शरीअत का यह क़ायदा रखा है कि पहले तो नेकी और भलाई के कामों का एक आम हुक्म दिया जाता है, ताकि लोग अपनी ज़िन्दगी में आम तौर पर भलाई का तरीक़ा अपनाएँ। फिर इसी भलाई की एक ख़ास सूरत भी तय कर दी जाती है, ताकि इसकी ख़ास तौर पर पाबन्दी की जाए।

अल्लाह की याद का आम हुक्म

मिसाल के तौर पर देखिए कि अल्लाह की याद एक भलाई है, सबसे बड़ी भलाई और तमाम भलाइयों का सरचश्मा। इसके लिए आम हुक्म है कि अल्लाह को हमेशा, हर हाल में, हर वक़्त याद रखो और कभी उससे गाफ़िल न हो। क़ुरआन मजीद में है—

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○

खड़े और बैठे और लेटे अल्लाह की याद में लगे रहो और अल्लाह को बहुत याद करो, ताकि तुमको फ़लाह नसीब हो।

(क़ुरआन, 4:103)

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ (آل عمران: ۱۹۰-۱۹۱)

बेशक, आसमान और ज़मीन की बनावट में और रात और दिन के बारी-बारी से आने में उन लोगों के लिए अल्लाह की बहुत-सी

निशानियाँ हैं जो अक़्ल रखते हैं, जो ख़ुदा को खड़े और बैठे और लेटे याद करते रहते हैं और आसमानों और ज़मीन की बनावट पर ग़ौर करके बेइख़्तियार बोल उठते हैं कि पालनहार! तूने यह कारख़ाना बेकार नहीं बनाया। (क़ुरआन, 3:190-191)

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا○

और उस आदमी की बात न मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से ग़ाफ़िल पाया और जो अपनी इच्छाओं के पीछे पड़ गया है और जिसके सारे काम हद से गुज़रे हुए हैं। (क़ुरआन, 18:28)

ये और ऐसी ही बहुत-सी आयतें हैं जिनमें हुक्म दिया गया है कि हमेशा हर हाल में अल्लाह की याद जारी रखो, क्योंकि अल्लाह की याद ही वह चीज़ है जो आदमी के मामलों को दुरुस्त रखती है और उसको सीधे रास्ते पर क़ायम रखती है। जहाँ आदमी उसकी याद से ग़ाफ़िल हुआ, और बस नफ़सानी ख़्वाहिशों और शैतानी वसवसों ने उसपर क़ाबू पा लिया। उसका लाज़मी नतीजा यह है कि सीधे रास्ते से भटक कर अपनी ज़िन्दगी के मामलों में हद से गुज़रने लगेगा।

अल्लाह की याद का ख़ास हुक्म

देखिए! यह तो था आम हुक्म! अब अल्लाह की इसी याद की एक ख़ास सूरत तय की गई— नमाज़, और नमाज़ में भी पाँच वक़्त में कुछ रकअतें फ़र्ज़ कर दी गईं जिनमें एक वक़्त में आठ-दस मिनट से ज़्यादा ख़र्च नहीं होते। इस तरह कुछ मिनट इस वक़्त और कुछ मिनट उस वक़्त अल्लाह की याद को फ़र्ज़ करने का यह मतलब नहीं है कि बस आप इतनी ही देर के लिए ख़ुदा को याद करें और बाक़ी वक़्त उसको भूल जाएँ, बल्कि इसका मतलब यह है कि कम से कम इतनी देर के लिए तो तुमको बिलकुल अल्लाह की याद में लग जाना चाहिए। इसके बाद अपने काम भी करते रहो और उनको करते हुए ख़ुदा को भी याद करो।

अल्लाह की राह में ख़र्च का आम हुक्म

बस ऐसा ही मामला ज़कात का भी है। यहाँ भी एक आम हुक्म है और एक ख़ास। एक तरफ़ तो यह हुक्म है कि कंजूसी और तंगदिली से बचो कि यह बुराइयों की जड़ और बदियों की माँ है। अपने अख़लाक़ में अल्लाह का रंग इख़तियार करो जो हर वक़्त बेशुमार मख़लूक़ पर अपनी मेहरबानियों के दरिया बहा रहा है, हालाँकि किसी का उसपर कोई हक़ और दावा नहीं है। अल्लाह की राह में जो कुछ ख़र्च कर सकते हो, करो। अपनी ज़रूरतों से जितना बचा सकते हो, बचाओ और उससे ख़ुदा के दूसरे ज़रूरतमन्दों की ज़रूरतें पूरी करो। दीन की ख़िदमत में और अल्लाह का कलिमा बुलन्द करने में जान और माल की परवाह न करो। अगर ख़ुदा से मुहब्बत रखते हो तो माल की मुहब्बत को ख़ुदा की मुहब्बत पर क़ुरबान कर दो। यह तो है आम हुक्म।

इनफ़ाक़ का ख़ास हुक्म

और इसके साथ ही ख़ास हुक्म यह है कि इतना ज़्यादा अगर तुम्हारे पास माल जमा हो तो उसमें से कम से कम इतना अल्लाह की राह में ज़रूर ख़र्च करो और इतनी पैदावार तुम्हारी ज़मीन में हो तो उसमें से कम से कम इतना हिस्सा तो ज़रूर अल्लाह की नज़र करो। फिर जिस तरह कुछ रकअत नमाज़ फ़र्ज़ करने का मतलब यह नहीं है कि बस ये रकअतें पढ़ते वक़्त ही ख़ुदा को याद करो और बाक़ी सारे वक़्तों में उसको भूल जाओ, इसी तरह माल की एक छोटी-सी मिक़दार अल्लाह की राह में ख़र्च करना फ़र्ज़ किया गया है। इसका मतलब भी यह नहीं है कि जिन लोगों के पास इतना माल हो, बस उन्हीं को अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहिए और जो इससे कम माल रखते हों उन्हें अपनी मुट्ठियाँ भींच लेनी चाहिए, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि मालदार लोगों पर जितनी ज़कात फ़र्ज़ की गई है, बस वे उतना ही अल्लाह की राह में ख़र्च करें और उसके बाद कोई ज़रूरतमन्द आए तो उसे झिड़क दें या दीन की ख़िदमत का कोई मौक़ा आए तो कह दें कि हम तो ज़कात दे चुके, अब हमसे एक पाई की भी उम्मीद न रखो। ज़कात फ़र्ज़ करने का यह मतलब

हरगिज़ नहीं है, बल्कि इसका मतलब असल में यह है कि कम से कम इतना माल तो हर मालदार को अल्लाह की राह में देना ही पड़ेगा और इससे ज़्यादा जिस शख़्स से जो कुछ बन आए वह उसको ख़र्च करना चाहिए।

इनफ़ाक़ के आम हुक्म की मुख़्तसर तशरीह

अब मैं आपके सामने पहले आम हुक्म की थोड़ी-सी तशरीह क़रूँगा। फिर दूसरे ख़ुतबे में ख़ास हुक्म बयान करूँगा।

क़ुरआन मजीद की यह ख़ूबी है कि वह जिस चीज़ का हुक्म देता है उसकी हिकमतें और मसलहतें भी ख़ुद ही बता देता है, ताकि हुक्म माननेवाले को हुक्म के साथ यह भी मालूम हो जाए कि यह हुक्म क्यों दिया गया है और इसका फ़ायदा क्या है? क़ुरआन मजीद खोलते ही सबसे पहले जिन आयतों पर आपकी नज़र पड़ती है वह ये हैं—

सीधे रास्ते पर चलने की तीन शर्तें

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ

الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ○

> यह क़ुरआन अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। यह उन परहेज़गार लोगों को ज़िन्दगी का सीधा रास्ता बताता है जो ग़ैब पर ईमान रखते हैं, नमाज़ क़ायम करते हैं और जो रोज़ी हमने उनको दी है उसमें से ख़र्च करते हैं।'' (क़ुरआन, 2:2-3)

इस आयत में यह बुनियादी क़ायदा बयान कर दिया गया है कि दुनिया की ज़िन्दगी में सीधे रास्ते पर चलने के लिए तीन चीज़ें लाज़िमी तौर पर शर्त हैं। एक ग़ैब पर ईमान, दूसरे नमाज़ क़ायम करना, तीसरे जो रोज़ी भी अल्लाह ने दी हो उसमें से अल्लाह की राह में ख़र्च करना। दूसरी जगह हुक्म होता है—

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ○

तुम नेकी का दर्जा पा ही नहीं सकते जब तक कि अल्लाह की राह में वे चीज़ें ख़र्च न करो जिनसे तुमको मुहब्बत है।
(क़ुरआन, 3:92)

फिर बताया—

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۝

शैतान तुमको डराता है कि ख़र्च करोगे तो फ़क़ीर हो जाओगे वह तुम्हें शर्मनाक चीज़ यानी कंजूसी की तालीम देता है।
(क़ुरआन, 2:268)

इसके बाद इरशाद हुआ—

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۝

अल्लाह की राह में ख़र्च करो और अपने हाथ से अपने आपको तबाही में न डालो (कि अल्लाह की राह में ख़र्च न करने का मतलब तबाही व बरबादी के हैं)। (क़ुरआन, 2:195)

आख़िर में फ़रमाया—

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

और जो तंगदिली से बच गए, वही कामयाब होनेवाले हैं।
(क़ुरआन, 59:9)

ज़िन्दगी गुज़ारने के दो तरीक़े

कुरआन मजीद की इन सब आयतों से मालूम होता है कि दुनिया में इनसान के लिए ज़िन्दगी गुज़ारने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ख़ुदा का है जिसमें नेकी और भलाई और फ़लाह और कामियाबी है और इस रास्ते का क़ायदा यह है कि आदमी का दिल खुला हुआ हो। जो रोज़ी भी थोड़ी या बहुत अल्लाह ने दी हो उससे ख़ुद अपनी ज़रूरतें भी पूरी करे, अपने भाइयों की भी मदद करे और अल्लाह का कलिमा बुलंद करने के लिए

भी ख़र्च करे। दूसरा रास्ता शैतान का है जिसमें ज़ाहिरी तौर पर तो आदमी को फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आता है लेकिन हक़ीक़त में तबाही व बरबादी के सिवा कुछ नहीं, और उस रास्ते का क़ायदा यह है कि आदमी दौलत समेटने की कोशिश करे, पैसे-पैसे पर जान दे और उसको दाँतों से पकड़-पकड़कर रखे ताकि ख़र्च न होने पाए और ख़र्च हो भी तो बस अपने निजी फ़ायदे और अपने नफ़्स की ख़्वाहिशों पर ही हो।

ख़ुदा की राह में ख़र्च के तरीक़े

अब देखिए कि ख़ुदाई रास्ते पर चलनेवालों के लिए अल्लाह की राह में ख़र्च करने के क्या तरीक़े क़ुरआन मजीद में बयान हुए हैं। मैं उन सबको नम्बर से बयान करता हूँ—

(1) सिर्फ़ ख़ुदा की ख़ुशनूदी के लिए

सबसे पहली बात यह है कि ख़र्च करने में सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और उसकी ख़ुशी हासिल करना आदमी का मक़सद हो, किसी को एहसानमन्द बनाने या दुनिया में नाम पैदा करने के लिए ख़र्च न किया जाए—

وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ

तुम जो कुछ भी ख़र्च करते हो उससे अल्लाह की रज़ा के सिवा तुम्हारा और कोई मक़सद नहीं होता। (क़ुरआन, 2:272)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अपनी ख़ैरात को एहसान जताकर और तकलीफ़ देकर उस आदमी की तरह बरबाद न करो जो लोगों के दिखावे के लिए ख़र्च करता है और अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान नहीं रखता। उसके ख़र्च की मिसाल तो ऐसी

है जैसे एक चट्टान पर मिट्टी पड़ी हो और उसपर ज़ोर का मेंह बरसे तो सारी मिट्टी बह जाए और बस साफ़ चट्टान की चट्टान रह जाए। (क़ुरआन, 2:264)

(2) एहसान न जताया जाए

दूसरी बात यह है कि किसी को पैसा देकर या रोटी खिलाकर या कपड़ा पहनाकर एहसान न जताया जाए और ऐसा बरताव न किया जाए जिससे उसके दिल को तकलीफ़ हो—

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَـنًّا وَّلَآ اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ○

जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और फिर ख़र्च करके एहसान नहीं जताते और तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, उनके लिए ख़ुदा के यहाँ बदला है और उन्हें किसी नुक़सान का डर या रंज नहीं। रही वह ख़ैरात जिसके बाद तकलीफ़ पहुँचाई जाए तो इससे तो यही अच्छा है कि माँगनेवाले को नर्मी से टाल दिया जाए और उससे कह दिया जाए कि भाई माफ़ करो। (क़ुरआन, 2:262-263)

(3) बेहतर माल दिया जाए

तीसरा क़ायदा यह है कि अल्लाह की राह में अच्छा माल दिया जाए, बुरा छाँटकर न दिया जाए। जो लोग किसी ग़रीब को देने के लिए फटे-पुराने कपड़े तलाश करते हैं या किसी फ़क़ीर को खिलाने के लिए बुरे से बुरा खाना निकालते हैं, उनको बस ऐसे ही बदले की ख़ुदा से भी उम्मीद रखनी चाहिए—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ○

ऐ ईमानलानेवालो! जो कुछ तुमने कमाया है और जो कुछ हमने

तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है उसमें से अच्छा माल अल्लाह की राह में दो, यह न करो कि अल्लाह की राह में देने के लिए बुरे-से-बुरा तलाश करने लगो। (क़ुरआन, (2:267)

(4) जहाँ तक मुमकिन हो छुपाकर दिया जाए

चौथा क़ायदा यह है कि जहाँ तक मुमकिन हो छिपाकर ख़र्च किया जाए ताकि दिखावे और नामवरी की मिलावट न होने पाए, हालांकि खुले तरीक़े से ख़र्च करने में भी कोई हरज नहीं, मगर छिपाकर देना ज़्यादा बेहतर है—

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۝

अगर खुले तरीक़े से ख़ैरात करो तो यह भी अच्छा है, लेकिन अगर छिपाकर ग़रीब लोगों को दो तो यह तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है और इससे तुम्हारे गुनाह धुलते हैं। (क़ुरआन, 2:271)

(5) नादानों को ज़रूरत से ज़्यादा न दिया जाए

पाँचवाँ क़ायदा यह है कि कम अक़्ल और नादान लोगों को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा न दिया जाए कि बिगड़ जाएँ और बुरी आदतों में पड़ जाएँ, बल्कि उनको जो कुछ दिया जाए, उनकी हैसियत और ज़रूरत के मुताबिक़ दिया जाए। अल्लाह तआला यह चाहता है कि पेट को रोटी और पहनने को कपड़ा तो हर बुरे-से-बुरे और बदकार-से-बदकार को भी मिलना चाहिए, मगर शराब पीने और चरस और गांजे और जुएबाज़ी के लिए लफ़ंगे आदमियों को पैसा न देना चाहिए—

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ ۝

अपने माल, जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़िन्दगी बसर करने का ज़रिया बनाया है, नादान लोगों के सुपुर्द न करो, अलबत्ता इन मालों में से उनको खाने और पहनने के लिए दो।

(क़ुरआन, 4:5)

(6) क़र्ज़दार को परेशान न किया जाए

छठा क़ायदा यह बयान हुआ है कि अगर किसी ग़रीब आदमी की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसको क़र्ज़ दिया जाए तो तक़ाज़े करके उसे परेशान न किया जाए, बल्कि उसको इतना मौक़ा दिया जाए कि वह आसानी से क़र्ज़ अदा कर सके और अगर वाक़ई यह मालूम हो कि वह अदा करने के क़ाबिल नहीं है और तुम इतना माल रखते हो कि उसको आसानी के साथ माफ़ कर सकते हो, तो बेहतर यह है कि माफ़ कर दो—

وَإِنْ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌلَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○

और अगर क़र्ज़दार तंगदस्त हो तो उसे ख़ुशहाल होने तक मौक़ा दो और सदक़ा कर देना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम उसका फ़ायदा जानो। (क़ुरआन, 2:280)

(7) ख़ैरात में सन्तुलन

सातवाँ क़ायदा यह बयान किया गया है कि आदमी को ख़ैरात करने में भी हद से न गुज़रना चाहिए। अल्लाह तआला का यह मक़सद नहीं है कि अपना और अपने बाल-बच्चों का पेट काटकर सब कुछ ख़ैरात में दे डाला जाए, बल्कि वह चाहता है कि सीधे-सादे तरीक़े से ज़िन्दगी बसर करने के लिए जितनी ज़रूरत आदमी को होती है, उतना ही अपने ऊपर और अपने बाल-बच्चों पर ख़र्च करे और जो बाक़ी बचे उसे अल्लाह की राह में दे—

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ○

पूछते हैं कि हम क्या ख़र्च करें? ऐ नबी! कह दो कि जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। (क़ुरआन, 2:219)

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا○

अल्लाह के नेक बन्दे वे हैं कि जब ख़र्च करें तो न फ़ज़ूलख़र्ची करें और न बहुत तंगी कर जाएँ, बल्कि उनका तरीक़ा इसके बीच में हो। (क़ुरआन, 25:67)

وَلَاتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلٰى عُنُقِكَ وَلَاتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْماً مَّحْسُوْراً○

न तो अपना हाथ इतना सिकोड़ लो कि गोया गरदन से बँधा हुआ हो और न इतना खोल दो कि हसरतज़दा बैठे रहो और लोग भी तुमको मलामत करें। (क़ुरआन, (17:29)

मदद के हक़दार

आख़िर में यह भी सुन लीजिए कि अल्लाह तआला ने हक़दारों की पूरी लिस्ट बना दी है, जिसको देखकर आपको मालूम हो सकता है कि कौन-कौन लोग आपकी मदद के हक़दार हैं और किनका हक़ अल्लाह ने आपकी कमाई में रखा है। क़ुरआन में है—

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ○

अपने ग़रीब रिश्तेदार को उसका हक़ दो और मिसकीन को और मुसाफ़िर को। (क़ुरआन, 17:26)

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ○

और नेक वह है जो अल्लाह की मुहब्बत में माल दे अपने ग़रीब रिश्तेदारों और यतीमों और मिसकीनों को और मुसाफ़िर को और ऐसे लोगों को जिनकी गरदनें ग़ुलामी और क़ैद में फँसी हुई हों। (क़ुरआन, 2:177)

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ

ذِی الْقُرْبٰی وَالْجَارِالْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ○

नेक बरताव किया जाए अपने माँ-बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और ग़रीबों और क़रीब के पड़ोसियों और अजनबी पड़ोसियों और पास बैठनेवालों और मुसाफ़िरों और अपने लौंडी और ग़ुलामों से।
(क़ुरआन, 4:36)

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ○

और नेक लोग अल्लाह की मुहब्बत में मिसकीन और यतीम और क़ैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको सिर्फ़ ख़ुदा के लिए खिला रहे हैं, तुमसे कोई बदला या शुक्रिया नहीं चाहते। हमको तो अपने ख़ुदा से उस दिन का डर लगा हुआ है जिसकी शिद्दत की वजह से लोगों के मुँह सिकुड़ जाएँगे और त्यौरियाँ चढ़ जाएँगी (यानी क़ियामत)। (क़ुरआन, 76:8-10)

وَفِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

और उनके मालों में हक़ है मदद माँगनेवालों का और उस शख़्स का जो महरूम हो। (क़ुरआन, 51:19)

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِی الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

ख़ैरात उन ज़रूरतमंदों के लिए है जो अपना सारा वक़्त ख़ुदा के काम में देकर ऐसे घिर गए हैं कि अपनी रोटी के लिए दौड़-धूप

नहीं कर सकते। उनकी ख़ुद्दारी को देखकर न जाननेवाले लोग गुमान करते हैं कि वे मालदार हैं, मगर उनकी सूरत देखकर तुम पहचान सकते हो कि उनपर क्या गुज़र रही है। उनको ख़ुद जाकर दो, क्योंकि वे ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों से लिपट-लिपटकर माँगते फिरें। उनको ढाँक-छिपाकर जो कुछ भी तुम ख़ैरात दोगे, अल्लाह को उसकी ख़बर होगी और वह उसका बदला देगा।

(क़ुरआन, 2:273)

ज़कात के ख़ास हुक्म

मुसलमान भाइयो! पिछले ख़ुतबे में आपके सामने ख़ुदा की राह में ख़र्च करने के आम हुक्म बयान कर चुका हूँ। अब मैं इस हुक्म के दूसरे हिस्से की तफ़सील बयान करता हूँ जो ज़कात से ताल्लुक़ रखता है, यानी जिसे फ़र्ज़ किया गया है।

ज़कात के बारे में तीन हुक्म

ज़कात के बारे में अल्लाह ने क़ुरआन मजीद में तीन जगह अलग-अलग हुक्म बयान फ़रमाए हैं—

(1) सूरा बक़रा में फ़रमाया—

اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۝

> जो पाक माल तुमने कमाए हैं और जो पैदावार हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाली है, उसमें से ख़ुदा की राह में ख़र्च करो।
> (क़ुरआन, 2:267)

(2) सूरा अनआम में फ़रमाया कि हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से बाग़ उगाए हैं और खेतियाँ पैदा की हैं, इसलिए—

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۝

> उसकी पैदावार जब निकले तो उसमें से खाओ और फ़सल कटने के दिन अल्लाह का हक़ निकाल दो। (क़ुरआन, 6:141)

क़ुरआन मजीद की ये दोनों आयतें ज़मीन की पैदावार के सिलसिले में है और हनफ़ी फ़ुक़हा फ़रमाते हैं कि ख़ुद उगनेवाले पौधे जैसे लकड़ी, घास और बाँस के सिवा बाक़ी जितनी चीज़ें ग़ल्ला, तरकारी और फलों की क़िस्म से निकलें, इन सबमें से अल्लाह का हक़ निकालना चाहिए। हदीस में आता है कि जो पैदावार आसमानी बारिश से हो उसमें अल्लाह का हक़ दसवाँ हिस्सा है और जो पैदावार आदमी की अपनी कोशिशों यानी

सिंचाई वग़ैरह से हो, उसमें अल्लाह का हक़ बीसवाँ हिस्सा है और यह हिस्सा पैदावार कटने के साथ ही वाजिब हो जाता है।

(3) इसके बाद सूरा तौबा में आता है—

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ لاَيُنْفِقُوْنَهَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ○

जो लोग सोने और चाँदी को इकट्ठा करके रखते हैं और उसमें से ख़ुदा की राह में ख़र्च नहीं करते उनको दर्दनाक अज़ाब की ख़बर दे दो। उस दिन के अज़ाब की, जब उनके इस सोने और चाँदी को आग में तपाया जाएगा और उससे उनकी पेशानियों, पहलूओं और पीठों पर दाग़ा जाएगा और कहा जाएगा कि यह है वह माल जो तुमने अपने लिए जमा किया था, अब अपने इन खज़ानों का मज़ा चखो। (क़ुरआन, 9:34-35)

फिर फ़रमाया—

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ○

सदक़े (यानी ज़कात) अल्लाह की तरफ़ से मुक़र्रर किया हुआ फ़र्ज़ है। फ़क़ीरों के लिए और मिसकीनों के लिए और उन लोगों के लिए जो ज़कात वुसूल करने पर मुक़र्रर हों और उनके लिए जिनके दिलों की तालीफ़ मंज़ूर हो और गरदनें छुड़ाने के लिए और क़र्ज़दारों के लिए और ख़ुदा की राह में और मुसाफ़िरों के लिए। अल्लाह बेहतर जाननेवाला और हिकमतवाला है। (क़ुरआन, 9:60)

इसके बाद फ़रमाया—

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا○

इनके मालों में से ज़कात वुसूल करके इनको पाक व साफ़ कर दो। (क़ुरआन, 9:103)

इन तीनों आयतों से मालूम हुआ कि जो माल जमा किया जाए और बढ़ाया जाए और उसमें से ख़ुदा की राह में ख़र्च न किया जाए, वह नापाक हो जाता है। इसके पाक करने की सूरत सिर्फ़ यह है कि इसमें से ख़ुदा का हक़ निकाल कर उसके बन्दों को दे दिया जाए।

हदीस में आता है कि जब सोना और चाँदी जमा करनेवालों पर अज़ाब की धमकी आई तो मुसलमान सख़्त परेशान हुए, क्योंकि इसके माने तो यह होते थे कि एक सिक्का भी अपने पास न रखो, सब ख़र्च कर डालो। आख़िरकार हज़रत उमर (रज़ि०) हुज़ूर नबी करीम (सल्ल०) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और क़ौम की परेशानी का हाल बताया। आप (सल्ल०) ने जवाब दिया कि अल्लाह ने ज़कात को तुमपर इसी लिए फ़र्ज़ किया है कि बाक़ी माल तुम्हारे लिए पाक हो जाए। ऐसी ही रिवायत हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि०) से बयान की जाती है कि हुज़ूर (सल्ल०) ने फ़रमाया कि जब तूने अपने माल में से ज़कात निकाल दी तो जो हक़ तुझपर वाजिब था, वह अदा हो गया।

ऊपर बयान की हुई आयतों में तो सिर्फ़ ज़मीन की पैदावार और सोने-चाँदी की ज़कात का हुक्म मिलता है, लेकिन हदीस से मालूम होता है कि तिजारती माल, ऊँट, गाय और बकरियों में भी ज़कात है।

कुछ चीज़ों की ज़कात का निसाब

चाँदी का निसाब दो सौ दिरहम यानी साढ़े बावन तोला के क़रीब है। सोने का निसाब साढ़े सात तोले, ऊँट का निसाब पाँच ऊँट, बकरियों का निसाब चालीस बकरियाँ, गाय का निसाब तीस गायें और तिजारती माल का निसाब साढ़े बावन तोला चाँदी के बराबर माल, यानी जिस आदमी के पास इतना माल मौजूद हो और उसपर एक साल गुज़र जाए तो उसमें से चालीसवाँ हिस्सा (2.5%) ज़कात का निकालना वाजिब है। चाँदी और सोने के मुताल्लिक़ हनफ़िया फ़रमाते हैं कि अगर ये दोनों अलग-अलग

निसाब के बराबर न हों, लेकिन दोनों मिलकर किसी एक निसाब की हद तक उनकी क़ीमत पहुँच जाए तो उनमें से भी ज़कात निकालनी वाजिब है।

ज़ेवरों पर ज़कात

सोना और चाँदी अगर ज़ेवर की सूरत में हो तो हज़रत उमर (रज़ि०) और हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ि०) के नज़दीक इनकी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है और इमाम अबू हनीफ़ा (रह०) ने यही क़ौल लिया है। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने दो औरतों के हाथ में सोने के कंगन देखे और पूछा कि क्या तुम ज़कात निकालती हो? एक ने कहा कि नहीं। आपने फ़रमाया, "क्या तू इसे पसन्द करेगी कि क़ियामत के दिन इसके बदले आग के कंगन तुझे पहनाए जाएँ?" इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि०) से रिवायत है कि मेरे पास सोने की पाज़ेब थी। मैंने हुज़ूर (सल्ल०) से पूछा कि क्या यह 'कन्ज़' (जमा माल) है? आपने फ़रमाया कि 'अगर इसमें सोने की मिक़दार निसाबे ज़कात तक पहुँचती है और इसमें से ज़कात निकाल दी गई है तो यह 'कन्ज़' नहीं है। इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि सोना या चाँदी अगर ज़ेवर की शक्ल में हों, तब भी उसी तरह ज़कात फ़र्ज़ है जिस तरह नक़्द की सूरत में होने पर है, अलबत्ता जवाहर और नगीनों पर ज़कात नहीं है।

ज़कात के हक़दार

क़ुरआन मजीद में ज़कात के आठ हक़दार बयान किए गए हैं जिनकी तफ़सील यह है—

(1) **फ़क़ीर**— ये वे लोग हैं, जिनके पास कुछ न कुछ माल तो हो मगर उनकी ज़रूरत के लिए काफ़ी न हो। तंगदस्ती में गुज़र-बसर करते हों और किसी से माँगते न हों। इमाम ज़ुहरी, इमाम अबू हनीफ़ा, इब्न अब्बास, हसन बसरी, अबुल हसन कर्ख़ी (रह०) और दूसरे बुज़ुर्गों ने फ़क़ीर की यही तारीफ़ (Definition) बयान की है।

(2) **मिसकीन**— ये बहुत ही तबाह हाल लोग हैं जिनके पास अपने तन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी कुछ न हो। हज़रत उमर (रज़ि०) ऐसे लोगों को भी मिसकीनों में शामिल करते हैं जो कमाने की ताक़त रखते

हों मगर उन्हें रोज़गार न मिलता हो।

(3) **आमिलीन अलैहा**— इनसे मुराद वे लोग हैं जिन्हें इस्लामी हुकूमत ज़कात वुसूल करने के लिए मुक़र्रर करे। उनको ज़कात की मद से तनख़्वाह दी जाएगी।

(4) **मोअल्लफ़तुल कुलूब**— इनसे मुराद वे लोग हैं जिनको इस्लाम की हिमायत के लिए या इस्लाम की मुख़ालिफ़त से रोकने के लिए रुपया देने की ज़रूरत पेश आए। और इसमें वे नव मुसलिम भी शामिल हैं जिन्हें मुत्मइन करने की ज़रूरत हो। अगर कोई आदमी अपनी काफ़िर क़ौम को छोड़कर मुसलमानों में आ मिलने की वजह से बेरोज़गार या तबाह हाल हो गया हो तब तो उसकी मदद करना मुसलमानों पर वैसे ही फ़र्ज़ है, लेकिन अगर वह मालदार हो, तब भी उसे ज़कात दी जा सकती है, ताकि उसका दिल इस्लाम पर जम जाए। जंगे हुनैन के मौक़े पर नबी (सल्ल०) ने ग़नीमत के माल में से नवमुस्लिमों को बहुत माल दिया, यहाँ तक कि एक-एक आदमी के हिस्से में सौ-सौ ऊँट आए। अनसार ने इसकी शिकायत की तो हुज़ूर ने फ़रमाया कि ये लोग अभी-अभी कुफ़्र से इस्लाम में आए हैं, मैं इनके दिल को ख़ुश करना चाहता हूँ। इसी बुनियाद पर इमाम ज़ुहरी ने मोअल्लफ़तुल क़ुलूब की तारीफ़ यूँ बयान की है—

> "जो ईसाई या यहूदी या ग़ैर मुसलिम इस्लाम में दाख़िल हुआ हो, चाहे वह मालदार ही क्यों न हो।"

(5) **फ़िर्रिक़ाब**— इससे मतलब यह है कि जो शख़्स ग़ुलामी के बन्धनों से छूटना चाहता हो उसको ज़कात दी जाए, ताकि वह अपने मालिक को रुपया देकर अपनी गरदन ग़ुलामी से छुड़ा ले। आजकल के ज़माने में ग़ुलामी का रिवाज नहीं है, इसलिए मेरा ख़याल है कि जो लोग जुर्माना अदा न कर सकने की वजह से क़ैद भुगत रहे हों, उनको ज़कात देकर छुटकारा हासिल कराने में मदद दी जा सकती है। यह भी फ़िर्रिक़ाब की तारीफ़ में आ जाता है।

(6) **अलग़ारिमीन**— इनसे मुराद वे लोग हैं जो क़र्ज़दार हों। यह मतलब नहीं है कि आदमी के पास हज़ार रुपया हो और वह सौ रुपये का क़र्ज़दार

हो तो भी उसको ज़कात दी जा सकती है, बल्कि मतलब यह है कि जिसपर इतना क़र्ज़ हो कि उसे अदा करने के बाद उसके पास निसाब के हिसाब से कम माल बचता हो तो उसे ज़कात दी जा सकती है। फ़ुक़हा ने यह भी फ़रमाया है कि जो आदमी अपनी फ़ुज़ूल ख़र्चियों और बदकारियों की वजह से क़र्ज़दार हुआ हो उसको ज़कात देना मकरूह है, क्योंकि फिर वह इस भरोसे पर और ज़्यादा हिम्मत के साथ बदकारियाँ और फ़ुज़ूल ख़र्चियाँ करेगा कि ज़कात लेकर क़र्ज़ अदा कर दूँगा।

(7) **फ़ी सबीलिल्लाह**— यह आम लफ़्ज़ है जो सभी नेक कामों पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ख़ास तौर पर इससे मुराद सच्चे दीन का झण्डा ऊँचा करने की कोशिश में मदद करना है। नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया है कि ज़कात लेना किसी मालदार आदमी के लिए जायज़ नहीं। लेकिन अगर मालदार आदमी जिहाद के लिए मदद का ज़रूरतमन्द हो तो उसे ज़कात देना चाहिए, इसलिए कि एक शख़्स मालदार सही, लेकिन जिहाद के लिए जो ग़ैर मामूली ख़र्च होता है उसको वह सिर्फ़ अपने माल से किस तरह पूरा कर सकता है। इस काम में ज़कात से उसकी मदद करनी चाहिए।

(8) **इब्नुस्सबील यानी मुसाफ़िर**— भले ही मुसाफ़िर के पास उसके वतन में कितना ही माल हो, लेकिन सफ़र की हालत में अगर वह मुहताज है तो उसे ज़कात देनी चाहिए।

ज़कात किसे दी जाए और किसे नहीं

अब यह सवाल बाक़ी रह जाता है कि आठ गिरोह जो बयान हुए हैं उनमें से किस आदमी को किस हाल में ज़कात देनी चाहिए और किस हाल में ज़कात न देनी चाहिए। इसकी भी थोड़ी-सी तफ़सील आपके सामने बयान कर देता हूँ।

(1) कोई आदमी अपने बाप या बेटे को ज़कात नहीं दे सकता। शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। इसमें फ़ुक़हा एक राय रखते हैं। कुछ फ़ुक़हा यह भी कहते हैं कि ऐसे क़रीबी रिश्तेदारों को ज़कात नहीं देनी चाहिए जिनका खाना-पीना आप पर वाजिब हो या जो आपके शरई वारिस हों। अलबत्ता दूर के रिश्तेदार ज़कात के

हक़दार हैं, बल्कि दूसरों से ज़्यादा हक़दार हैं। मगर इमाम औज़ाई (रह०) फ़रमाते हैं कि ज़कात निकालकर अपने ही रिश्तेदारों को न ढूँढ़ते फिरो।

(2) ज़कात सिर्फ़ मुसलमान का हक़ है। हदीस में ज़कात की तारीफ़ यह आई है—

تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَآئِكُمْ وَتُرَدُّ إِلٰى فُقَرَآءِكُمْ ۝

यानी, वह तुम्हारे मालदारों से ली जाएगी और तुम्हारे ही फ़क़ीरों में बाँट दी जाएगी।

अलबत्ता ग़ैर मुसलिम को आम ख़ैरात में से हिस्सा दिया जा सकता है, बल्कि आम ख़ैरात में यह फ़र्क़ करना अच्छा नहीं है कि मुसलमान को दी जाए और ग़ैर मुसलिम मदद का मुहताज हो तो उससे हाथ रोक लिया जाए।

(3) इमाम अबू हनीफ़ा (रह०), इमाम अबू यूसुफ़ (रह०) और इमाम मुहम्मद (रह०) फ़रमाते हैं कि हर आबादी की ज़कात उसी आबादी के ग़रीबों में ख़र्च होनी चाहिए। एक आबादी से दूसरी आबादी में भेजना अच्छा नहीं है। अलबत्ता उन हालतों में कि वहाँ कोई हक़दार न हो या दूसरी जगह कोई ऐसी मुसीबत आ गई हो कि दूर व नज़दीक की आबादियों से मदद पहुँचानी ज़रूरी हो जैसे बाढ़ या अकाल वग़ैरह। क़रीब-क़रीब यही राय इमाम मालिक (रह०) और इमाम सुफ़ियान सौरी (रह०) की भी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह ज़कात भेजना नाजायज़ है।

(4) कुछ बुज़ुर्गों का ख़याल है कि जिस आदमी के पास दो वक़्त के खाने का सामान हो उसे ज़कात न लेनी चाहिए। कुछ बुज़ुर्ग फ़रमाते हैं कि जिसके पास 10 रुपये और कुछ कहते हैं कि जिसके पास 12 1/2 रुपये मौजूद हों उसे ज़कात न लेनी चाहिए। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह०) और तमाम हनफ़िया की राय यही है कि जिसके पास पचास रुपये से कम हों वह ज़कात ले सकता है। इसमें मकान और घर का सामान और घोड़ा और नौकर शामिल नहीं है। यानी ये सब सामान रखते हुए भी जो आदमी पचास रुपये से कम माल रखता हो, वह ज़कात लेने का हक़दार है। इस

सिलसिले में एक चीज़ तो है क़ानून और दूसरी चीज़ है फ़ज़ीलत का दर्जा। इन दोनों में फ़र्क़ है। फ़ज़ीलत का दर्जा तो यह है कि हुज़ूर (सल्ल०) ने फ़रमाया कि जो आदमी सुबह व शाम की रोटी का सामान रखता हो, वह अगर सवाल के लिए हाथ फैलाता है तो अपने हक़ में आग जमा करता है। दूसरी हदीस में है कि आप (सल्ल०) ने फ़रमाया है कि मैं इसको पसन्द करता हूँ कि एक आदमी लकड़ियाँ काटे और अपना पेट भरे इसके मुक़ाबले में कि सवाल के लिए हाथ फैलाता फिरे। तीसरी हदीस में है कि जिसके पास खाने को हो या जो कमाने की ताक़त रखता हो, उसका यह काम नहीं है कि ज़कात ले। लेकिन यह ऊँचे इरादे की तालीम है। रहा क़ानून तो इसमें एक आख़िरी हद बतानी ज़रूरी है कि कहाँ तक आदमी ज़कात लेने का हक़दार हो सकता है? सो वह दूसरी हदीसों में मिलता है। मिसाल के तौर पर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया—

لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَآءَ عَلَى الْفَرَسِ○

"माँगनेवाले का हक़ है, भले ही वह घोड़े पर चढ़कर आया हो।"

एक आदमी ने हुज़ूर (सल्ल०) से कहा कि मेरे पास 10 रुपये हैं, क्या मैं मिसकीन हूँ? आपने फ़रमाया, 'हाँ'। एक बार दो आदमियों ने आकर हुज़ूर (सल्ल०) से ज़कात माँगी। आपने नज़र उठाकर उन्हें ग़ौर से देखा, फिर फ़रमाया कि अगर तुम लेना चाहते हो तो मैं दे दूँगा, लेकिन इस माल में मालदार और काम कर सकने के क़ाबिल हट्टे-कट्टे लोगों का हिस्सा नहीं है। इन सब हदीसों से मालूम होता है कि जो आदमी निसाब के हिसाब से कम माल रखता हो, वह मिसकीन की लिस्ट में आ जाता है और उसे ज़कात दी जा सकती है। यह दूसरी बात है कि ज़कात लेने का हक़ असल में असली ज़रूरतमन्दों ही को पहुँचता है।

ज़कात के लिए इजतिमाई निज़ाम की ज़रूरत

ज़कात के ज़रूरी हुक्म मैंने बयान कर दिए हैं। लेकिन इन सबके साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ और भी है जिसकी तरफ़ आपकी तवज्जोह दिलाना चाहता हूँ और मुसलमान आजकल इसको भूल गए हैं। वह यह है कि इस्लाम में तमाम काम जमाअत के निज़ाम के साथ होते हैं। अलग-अलग

रहने को इस्लाम पसन्द नहीं करता। आप मसजिद से दूर हों और अलग नमाज़ पढ़ लें तो नमाज़ तो हो जाएगी, मगर शरीअत तो यही चाहती है कि जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ें। इसी तरह अगर जमाअत का निज़ाम न हो तो अलग-अलग ज़कात निकालना और ख़र्च करना भी सही है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़कात को एक मरकज़ पर जमा किया जाए ताकि वहाँ से वह एक ज़ाबते के साथ ख़र्च हो। इसी चीज़ की तरफ़ क़ुरआन मजीद में इशारा फ़रमाया गया है। मिसाल के तौर पर फ़रमाया—

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا٥

यानी, अल्लाह ने नबी करीम (सल्ल०) से फ़रमाया कि आप उनसे ज़कात वुसूल करें। मुसलमानों से यह नहीं फ़रमाया कि तुम ज़कात निकालकर अलग-अलग ख़र्च कर दो। इसी तरह ज़कात वसूल करनेवालों का हक़ मुक़र्रर करने से भी साफ़ मालूम होता है कि ज़कात का सही तरीक़ा यह है कि मुसलमानों का इमाम इसको बाक़ायदा वुसूले और ख़र्च करे। इसी तरह नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया—

اُمِرْتُ اَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَاءِكُمْ اَرُدُّوْهَا فِى فُقَرَآءِكُمْ

मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम्हारे मालदारों से ज़कात वुसूल करूँ और तुम्हारे फ़क़ीरों में बाँट दूँ।

इसी तरीक़े पर नबी (सल्ल०) और ख़ुलफ़ाए राशिदीन का अमल भी था। तमाम ज़कात इस्लामी हुकूमत के कारकुन जमा करते थे और मरकज़ की तरफ़ से उसको तक़सीम किया जाता था। आज अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है और ज़कात जमा करके बाक़ायदा तक़सीम करने का इनतिज़ाम भी नहीं है तो आप अलग-अलग अपनी ज़कात निकालकर शरई तौर पर ख़र्च कर सकते हैं, मगर तमाम मुसलमानों पर लाज़िम है कि ज़कात जमा करने और तक़सीम करने के लिए एक इजतिमाई निज़ाम बनाने की फ़िक्र करें क्योंकि इसके बग़ैर ज़कात के फ़र्ज़ होने के फ़ायदे अधूरे रह जाते हैं।